हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग

ग्राम पंचायत के न्यायिक कार्यों की मार्गदर्शिका

निदेशालय, पंचायती राज विभाग, 27 एस डी ए कम्पलैक्स कसुम्पटी शिमला–9

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश पंचायती अधिनियम, 1994 की एक विशेषता यह है कि ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक कार्यों एवं शक्तियों के साथ–साथ न्यायिक कार्य एवं शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। पंचायतों को न्यायिक शक्तियां प्रदान करने का यह उद्देश्य है कि ग्रामीण लोग अपने छोटे–छोटे विवादों को लेकर अदालतों में जाकर समय तथा धन को व्यर्थ न गवायें। पंचायतों में जहॉ एक ओर वकीलों द्वारा पैरवी करना निषिद्ध है वहीं फैसला सामान्तयः तीन मास के भीतर करने का प्रावधान है। इसलिए पंचायत स्तर पर न्याय सुलभ सस्ता और शीघ्र प्रदान किया जा सकता है।

यद्यपि हिमाचल प्रदेश पंचायती अधिनियम 1994 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में ग्राम पंचायत की न्यायिक शक्तियों तथा इनके निष्पादन की प्रक्रिया दी गई है परन्तु काफी मामलों में यह महसूस किया जा रहा था कि साधारण हिन्दी भाषा में विभिन्न प्रकार के मामलों का दृष्टांत देते हुए एक मार्गदर्शिका ग्राम पंचायत पदाधिकारियों के लिए तैयार की जाए। अतः विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के न्यायिक कार्यों की यह मार्गदर्शिका तैयार की गई है। आशा है कि यह मार्गदर्शिका पंचायत पदाधिकारियों में पचांयतों के न्यायिक कार्यों के बारे में समझ बढ़ाएगी जिससे पचांयतें अपनी शक्तियों का ठीक तरीके से प्रयोग करके ग्रामीण जनता को सस्ता व शीघ्र न्याय प्रदान करने में सफल होगीं।

सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला–171002

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ट संख्या
1	ग्राम पंचायतों के न्यायिक कार्य	1
2	न्याय के सामान्य सिद्धान्त	2–4
3	ग्राम पंचायतों को न्यायिक अधिकार देने के उद्देश्य	4–6
4	क्षेत्राधिकार	7–8
5	फौजदारी मामले	9–32
6	दिवानी मामले	33–36
7	राजस्व कार्यवाही	37
8	भरण पोषण सम्बन्धि मामले	38
9	ग्राम पंचायत द्वारा कुछ मामलों की सुनवाई न करना	39
10	मामले को वापिस करना	40
11	मामला दर्ज करना तथा न्यायपीठ की नियुक्ति	41–42
12	मामले को सुनने की प्रक्रिया	43–45
13	समन जारी करना	46–47
14	समनों की तामील	48–51
15	ग्राम पंचायतों के समक्ष हाजिर होने में असफल रहने के लिए कार्यवाही	51–53
16	किसी पक्ष की मृत्यु	53
17	ग्राम पंचायत द्वारा पारित किये गये फैसले को लागू करवाना	53–56
18	ध्यान रखने योग्य बातें	57–60
19	अभिलेखों का निरीक्षण	60–61
20	ग्राम पंचायतों की न्यायिक अभिलेखों की नकलें लेने की प्रक्रिया	61
21	न्याय शुल्क व फीसें	62–63
22	मिसल बन्दी	64–66
23	जानकारी हेतू फैसले का नमूना	67–70
24	ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध अनुसूचि–3	71–75
25	दावों के लिए परिसीमा अनुसूचि–4	76

ग्राम पंचायतों के न्यायिक कार्य

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की एक विशेषता यह है कि ग्राम पंचायतों को न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है। ग्राम पंचायत की न्यायिक शक्तियों के प्रावधान **हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धाराएं 30 से 76 तथा इन शक्तियों के निष्पादन की प्रकिया हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 49 से 95 में दी गई है।** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 को इस मार्गदर्शिता में **अधिनियम** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 को **नियम** लिखा गया है। इन शक्तियों को प्रदान करने का उद्धेश्य यह है कि पंचायतें स्थानीय स्तर पर सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय लोगों को प्रदान कर सके। ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को दायित्व को निभाते समय जहां न्याय के सिद्धान्तों की जानकारी आवश्यक है वहीं अधिनियम के तहत उनको प्रदान की गई न्यायिक शक्तियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। न्यायिक कार्यों के बारे ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की ज्ञान वृद्वि के लिए साधारण व सरल भाषा में यह मार्गदर्शीका तैयार की गई है ।

सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए
ग्राम पंचायतों को न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है

न्याय के सामान्य सिद्धान्तः

सामान्य तौर पर न्याय के निम्न सिद्धान्त हैंः–

- **न्याय विधान अनुसार हो**

  न्याय का पहला सिद्धान्त है कि न्याय विधान (Rule) के अनुसार हो। निर्णय करते समय यह देखा जाना आवश्यक है कि वास्तविक न्याय का उद्देश्य पूर्ण हो। इसी अभिप्राय से ग्राम पंचायतों को न्यायिक अधिकार दिए गए हैं। शब्द जाल से काफी हद तक मुक्ति देकर वास्तविक न्याय स्थापित करने में पंचायतें सहयोगी होगी यह विधान निर्माताओं का विश्वास था। **अतः पहला सिद्धान्त जो न्याय में ध्यान रखने योग्य है यह है कि निर्णय विधान के अनुकूल तथा वास्तविक हो।**

- **न्याय शीघ्र हो**

  न्याय का दूसरा सिद्धान्त है कि न्याय शीघ्र होना चाहिए यदि न्याय प्रदान करने में देरी हो जाये तो उसका वास्तविक उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। अंग्रेजी में यह कहावत है कि (Justice delayed is justice denied) इसी उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को न्यायिक अधिकार दिये गए है ताकि सस्ता और शीघ्र न्याय लोगों को प्राप्त हो सके। अतः पंचायतों का यह कर्तव्य है कि न्याय देने में देरी अथवा ढील न हो। देरी करने से न्याय प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति इतना तंग आ जाता

है कि उसे न्याय प्रदान करने वाली संस्था पर विश्वास कम होने लगता है।

- **विधान से अनभिज्ञता युक्ति नहीं**

  न्याय का तीसरा सिद्धान्त यह है कि विधान से अनभिज्ञता कोई युक्ति नहीं हैं। (Ignorance of Law is no Excuse) आम तौर पर यह देखा गया है कि अपराधी जब न्यायालय में पेश होता है तो सामानतः वह कहता है कि उस को ऐसे कानून का कोई ज्ञान नहीं था। न्याय का यह सकीय सिद्धान्त है कि जब एक कानून या विधान वैध रूप से बन कर सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुका हो तो किसी भी आदमी को यह कहते नहीं बनता कि उसे उक्त कानून का कोई ज्ञान नहीं था।

- **किसी निरपराधी को सजा न हो**

  न्याय का चौथा सिद्धान्त यह है कि सौ अपराधी चाहे छूट जाये परन्तु किसी एक निरपराधी को दण्ड नहीं मिलना चाहिए। मूलतः न्याय कि नजरों में प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष होता है जब तक कि उस के विरूद्ध अपराध सिद्ध न हो। न्याय करने से पूर्व अपराधी को अपना पक्ष रखने का पूर्ण मौका दिया जाना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार जब तक न्यायालय को पूर्ण रूप से विश्वास नहीं होता है कि अपराध हुआ है, तब तक दण्ड नहीं दिया जा सकता है और यदि अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने में कोई संदेह होता है तो उस सन्देह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है और वह दोष मुक्त किया जा सकता है।

- **दण्ड अभियुक्त की आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए**

  न्याय का दण्ड देने के विषय में यह सिद्धान्त है कि दण्ड अभियुक्त की आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। ऐसा न हो कि अभियुक्त उस से बर्वाद हो जाये। दण्ड की मात्रा अपराध को देखते हुए निर्धारित

करनी चाहिए। दण्ड का यह उद्देश्य होता है कि अभियुक्त को इस बात का ज्ञान हो जाये कि उसने अपराध किया है जिसे वह भविष्य में पुनः न करें और अपने जीवन को सुधार ले। दण्ड देते समय यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराध की परिभाषा के अनुसार जितनी बाते दण्ड देने के लिए सिद्ध होनी चाहिए वह सिद्ध हो गई है या नहीं

ग्राम पंचायतों को न्यायिक अधिकार देने के उद्धेश्य

हमारी अदालतों की प्रक्रिया इतनी पेचिदा और खर्चीली है कि साधारण व्यक्ति, अदालत से न्याय बहुत देर और अधिक धन व्यय करने के बाद, प्राप्त कर सकता है और देर से मिला न्याय न मिलने के बराबर है अर्थात देर से न्याय का खून होता है। इस समस्या का निदान कैसे किया जाये, कैसे कम खर्च तथा कम समय में न्याय दिलाया जा सकें यह विचार हमारे देश के कर्णधारों के सामने आया तो उन्होंने इसका विकल्प ढूंढना शुरू किया। उनका ध्यान इस देश में प्राचीन काल से चली आ रही पंचायत प्रणाली की ओर गया जिसके अतीत का इतिहास भी काफी उज्ज्वल था। **पंच मुखे परमेश्वर** अर्थात पंच के मुख में ईश्वर वास करता है तथा दूध का दूध पानी का पानी अलग–अलग जैसा न्याय पंचों से मिलता रहा है।

इस प्रकार वर्तमान पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पचांयतों को न्यायिक अधिकार देने में मुख्यतः तीन उद्धेश्य हैं, लोगों को सच्चा, सस्ता और शीघ्र न्याय देना है। सच्चे से तात्पर्य है कि पंचायत का कार्यक्षेत्र अदालतों की तुलना में बहुत छोटा होता है और पंचायत के सदस्य को गांव में उत्पन्न हुए विवादों की जानकारी होती हैं। पंचायत के सामने जो भी विवाद प्रस्तुत

होगा वह सच्चाई के आधार पर होगा। जो भी साक्ष्य पक्षों द्वारा पेश किये जायेंगे वह भी अधिकतर सच्चे होगें। इससे यह उम्मीद रखी जाती है कि पंचायत द्वारा दिया गया निर्णय सच्चाई पर होगा।

इसके अतिरिक्त अदालतों में खर्चें इतने ज्यादा है कि जिसे आम आदमी सहन नहीं कर सकता। वकील की फीस, न्याय, शुल्क और गवाहों के खर्चें इतने ज्यादा हैं कि ग्रामीण आदमी जिस के पास अपनी आय के सीमित साधन है इन खर्चों को वहन करने में असमर्थ होने के कारण न्याय से वंचित रह जाते हैं जिस कारण ग्राम पंचायत को न्यायिक अधिकार दिये गए है तथा यह प्रावधान रखा गया है कि **पंचायतों में कोई भी वकील किसी पक्ष की वकालत करने के लिए पेश नहीं हो सकता** और पक्ष को अपने केस की पैरवी स्वंय करनी होगी। न्याय शुल्क की दरें तथा ग्वाहों के भोजन की दरें भी इतनी कम है जिसे साधारण से साधारण व्यक्ति भी वहन कर सकेगा। इस प्रकार पचांयत से लोगों को कम खर्च पर न्याय प्राप्त हो सकेगा।

तीसरा उद्देश्य शीघ्र न्याय देने का है। जहां अदालतें एक केस का निपटारा करने के लिए वर्षों का समय लेती है वहां पंचायती राज अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया है कि पंचायत **वाद या अभियोग का निपटारा तीन मास के भीतर करेगी।** यदि निपटान में देरी होती है तो उसके कारण देने होंगे। पंचायत पक्षों के बीच समझौता करवाने का प्रयास करवाती है और अधिकतर मामलों में समझौता करवाने में सफल होती है जिससे उन पक्षों के बीच दुश्मनी की भावना समाप्त हो जाती है और उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और भाईचारे की

भावना उत्पन्न होती है। जिससे गावं में स्वस्थ वातावरण बनता है। संक्षेप में पंचायतों को न्यायिक अधिकार देने का मुख्य उद्देश्य निम्न हैः–

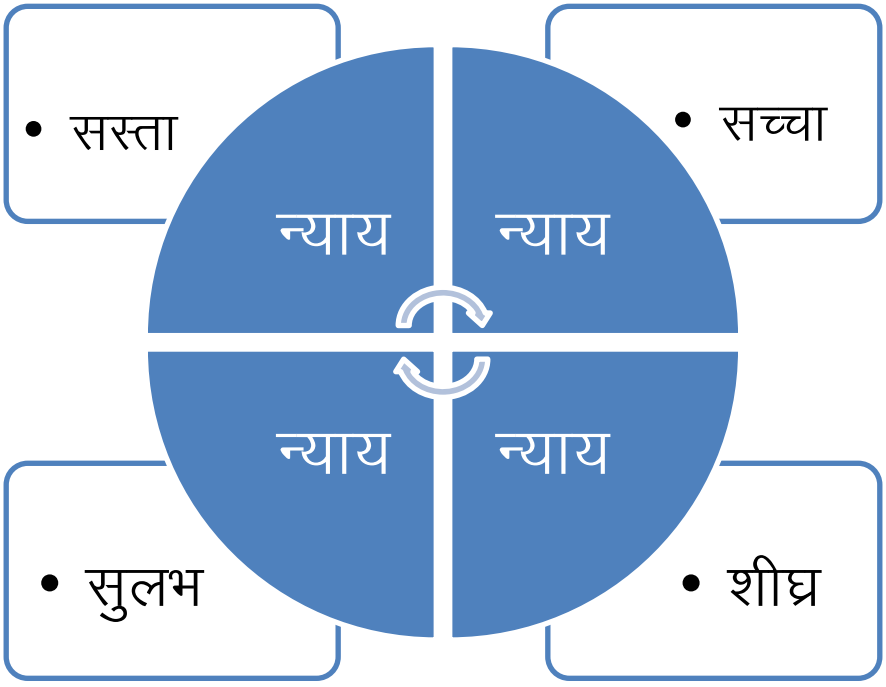

- छोटे–मोटे झगड़े के लिए पुलिस के चक्कर न काटने पड़े।
- गांव के लोग एक दूसरे से इतने जुड़े होते हैं कि वह ऐसे झगड़ों का सही कारण जान सकते हैं।
- पैसे और समय की बचत होती है।
- यहां पर कोई वकील करने की जरूरत नहीं होती है। यहां पर हर कोई अपनी बात स्वंय कह सकता है।
- झगड़ों का निपटारा जल्दी हो जाता है।
- कैद की सजा न होने से सुधरने का अवसर रहता है वरना जेल में दोषी और भी नई चीजें सीख कर आता है और साथ ही उस का परिवार भी तकलीफ से गुजरता है।

क्षेत्राधिकार

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 31 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को निम्न न्यायिक मामलों को सुनने का अधिकार दिया गया है:–

- फौजदारी मामले (भारतीय दण्ड संहिता की धारायें जो अनुसूचि 3 में वर्णित है)
- दिवानी वाद
- राजस्व कार्यवाही (भू राजस्व अधिनियम 1953 की धारा 48 के अन्तर्गत)
- भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 अनुसार भरण–पोषण से सम्बन्धित मामले

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 धारा 34 के अनुसार कोई भी मामला चाहे वह फौजदारी हो अथवा दीवानी जिस की सुनवाई का अधिकार अधिनियम के अनुसार पंचायत के पास है अदालत उसकी सुनवाई नहीं कर सकती । धारा 35 के अनुसार कोई भी मामला, जिसकी सुनवाई का अधिकार पंचायत के पास है, गलती से अदालत में दर्ज हो जाता है, तो जैसे ही अदालत को इस गलती का पता चलेगा, अदालत मामले को पंचायत में भेज देगी और पंचायत उस मामले पर तुरन्त कार्यवाही करके मामले पर नए सिरे से सुनवाई करेगी।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 धारा 40 के अन्तर्गत मैजिस्ट्रैट, ग्राम पंचायत को किसी ऐसे मामले को जो बेशक धारा 32

के अनुसार पंचायत की अधिकारिता में न आता हो, मगर उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में किया गया हो, जांच करने के आदेश दे सकती है और पंचायत उस मामले की जांच करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट उस मैजिस्ट्रैट को पेश करेगी।

जब कई बार अभियोग या कार्यवाही एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों में चलाई जा सकती हो तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 52 के अन्तर्गत यदि अभियोगी या प्रार्थी उस वाद या अभियोग को किसी भी एक ग्राम पंचायत में दायर कर सकता है जिसमें वह चाहे। यदि इस विषय में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निर्णय सम्बन्धित न्यायिक मैजिस्ट्रैट, उप–न्यायधीश या कलैक्टर दारा किया जायेगा।

रामलाल व किशन के झगड़े को ले। रामलाल की कुछ जमीन बन्जार पंचायत में तथा कुछ जमीन तान्दी पंचायत में है तथा दोनों जगह की जमीन किशन को आधे पर दी है। फसल के बाद बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ।

यह विवाद ग्राम पंचायत बन्जार या तान्दी में से किस पंचायत के अधीन सुलझ सकता है ?

अगर रामलाल व किशन दोनों सहमत है तो मामला किसी भी एक पंचायत में दायर किया जा सकता है। यदि दोनों सहमत न हो तो यह मामला सम्बन्धित न्यायालय में दर्ज होगा।

फौजदारी मामले

भारतीय दण्ड संहिता में से कुछ धाराओं की सुनवाई का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है। जिसका विवरण अनुसूचि 3 में दिया गया है जो फौजदारी मामले कहलाते हैं। फौजदारी मामलों को अभियोग कहते है। **अभियोग दायर करने वाले को अभियोगी तथा जिसके विरूद्ध मामला है को अभियुक्त कहते है।**

रामपुर ग्राम पंचायत के शिल्ला गांव में हरी और ओम के बीच गाली–गलोच हुआ। हरी तो ग्राम पंचायत श्यामनगर का रहने वाला है तथा उसने निर्णय लिया कि अपनी पंचायत में दावा करेगा, परन्तु वह ऐसा नहीं कर सकता है। हरी को रामपुर पंचायत में ही दावा दायर करना होगा और इस मामले की सुनवाई का अधिकार केवल ग्राम पंचायत रामपुर को ही है।

फौजदारी मामला किसे कहते हैं

फौजदारी मामला उन मामलों या घटनाओं को कहते हैं जो भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज है। फौजदारी मामलों के घटित होने की स्थिति में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा इसकी एक कापी शिकायत करने वाले को दे दी जाती है। पुलिस द्वारा शिकायत की जांच की जाती है और जांच के साथ दूसरी कापी अदालत को भेज दी जाती है जिसके बाद कार्यवाही या मुकद्धमें की सुनवाई शुरू हो जाती है। चोरी, ठगी, डाका, मार–पिटाई, लड़ाई झगड़ा, अश्लील

हकरतें, दंगा करना, पीने के पानी को दूषित करना, कम तोलना, खाने पीने के सामान में मिलावट करना आदि फौजदारी मामलों के कुछ उदाहरण है। इन मामलों को यदि हम समझने की कोशिश करें तो कुछ बाते उभर कर सामने आती है:

- **शारीरिक नुकसान पंहुचानाः**

फौजदारी मामलों में अक्सर शारीरिक नुकसान पंहुचाया जाता है। उदाहरण के तौर पर राम और श्याम दोनों के खेत पास–2 है। एक दिन दोनों में किसी छोटी सी बात को लेकर बहस हो गई और श्याम ने राम के सिर पर लाठी दे मारी जिससे उसके सिर पर भारी चोटें आई। यहॉ पर राम श्याम के विरूद्व फौजदारी मामला दायर कर सकता है।

- **मानसिक चोट पहुंचानाः**

मानसिक चोट पहुंचाना या किसी दूसरे के लिए ऐसा माहौल बना देना कि वह अपने आपको हमेशा असुरक्षित महसूस करे, तो ऐसी स्थिति भी फौजदारी मामलें में शामिल है।

रामसिंह गांव का बिगड़ा हुआ लड़का है। जब लड़कियॉ पानी या चारा लेने जाती है तो वह रास्ते में खड़ा होकर अश्लील हरकतें करता हैं जिससे लड़कियों को मानसिक चोट पहुंचती है और साथ ही वह डरी और सहमी भी रहती है। राम सिंह ने बेशक लड़कियों को कोई शारीरिक चोट नहीं पंहुचाई जो स्पष्ट रूप से दिखाई जा सकें तो भी राम सिंह के विरूद्ध मानसिक चोट के लिए फौजदारी मामला दर्ज किया जा सकता है।

- **जीवन को खतरा**

जब काई व्यक्ति ऐसा कुछ कर देता है जिससे पूरे जन–जीवन को खतरा पंहुचे या पहुंचने की सम्भावना हो तो उसके खिलाफ भी फौजदारी मामला दर्ज किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए श्याम ने गावं के कुऍं में यह जानते हुए भी कि पूरा गांव यहां से पीने का पानी लेता है उसमें कचरा डाल दिया जिससे कुऐं का पानी दूषित हो गया। श्याम के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही की जा सकती है।

- **अन्य नुकसानों का खतरा**

धोखा, चोरी, ठगी, कम तोलना, खाने पीने की चीजों में मिलावट आदि से एक बात उभरकर आती है कि ऐसे मामलों में जानबूझकर दूसरे को माली/आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है और कई बार तो यह नुकसान आर्थिक तक सीमित न रह कर जानलेवा बन जाता है।

उदाहरण के लिए राम ने खाने के मसालों में ऐसी मिलावट करके बेचना शुरू किया कि गांव के कितने ही लोग इनका इस्तेमाल करने के बाद बीमार पड़ गए। राम के खिलाफ फौजदारी की जा सकती है।

इस प्रकार हमने पाया कि फौजदारी मामले दीवानी मामलों से बिल्कुल भिन्न होतें हैं। दीवानी मामलें पैसों या जमीन जायदाद के लेनदेन से

सम्बन्धित होते हैं जबकि फौजदारी मामलों में शारीरिक या मानसिक नुकसान मुख्य रहता है।

इसलिए फौजदारी मामलों के लिए अदालतों में जुर्माना या जेल या फिर दोनों भी हो सकते है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार हिमाचल में पंचायतों को भारतीय दण्डावली में से कुछ फौजदारी मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है ***कि पंचायत इन मामलों की सुनवाई तो कर सकती है मगर अदालत के बराबर न तो जुर्माना कर सकती है और न ही कैद की सजा सुना सकती है। पचांयत ज्यादा से ज्यादा इन मामलों के लिए 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।*** इस के साथ ही अगर किसी मामलें में पंचायत को लगता है कि वह तो केवल 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है जबकि मामला ऐसा है कि उसे ज्यादा जुर्माना होना चाहिए तो पंचायत मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस मुकद्धमें को फौजदारी अदालत में भिजवा सकती है परन्तु कोई भी शिकायतकर्ता अपनी मर्जी से यह तय नहीं कर सकता है कि पंचायत का जुर्माना काफी नहीं होना था इसलिए वह पंचायत में मामला दर्ज नहीं करना चाहता है। भारतीय दण्ड संहिता को कुछ धाराओं को सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है जिसका विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की **अनुसूचि–3** में दिया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 160

• दंगा करना

इस धारा के अधीन यदि कोई हंगामा करेगा तो उसे ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माने से दंडित कर सकती है। पंचायत ऐसी स्थिति में किसी के द्वारा शिकायत करने पर या जानकारी मिलने पर अपने आपसे भी इन के खिलाफ धारा 160 के अधीन कार्यवाही करते हुए ज्यादा से ज्यादा 100 रूपये तक का जुर्माना लगा सकती है।

हंगामा की परिभाषा: भारतीय दण्ड संहिता की धारा 159 के अनुसार हंगामा तब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग करते है।

सार्वजनिक स्थान: रेलवे प्लेट फार्म, बस स्टैंड, मन्दिर आदि सार्वजनिक है। निजी चबूतरा, निजी उद्यान या कोई भी निजी स्थान सार्वजनिक नहीं हो सकता। निजी खेत में हल चलाने के लिए यदि कोई झगड़ा करता है तो वह सार्वजनिक स्थान में झगड़ा नहीं होता। ऐसा खेत है जिसमें दिवारें या बाढ़ नहीं तथा जिसमें लोग आते जाते हैं चाहे उस में उनको जाने का अधिकार है या नहीं उसे धारा 160 के अधीन सार्वजनिक स्थान माना जायेगा।

अपराध के लिए जरूरी बातें: धारा 160 के अन्तर्गत अपराध के लिए यह जरूरी है कि उस में हमला हुआ हो तथा शांति भंग हुई हो। केवल लड़ना या गाली देना जिस में एक दूसरे पर चोट न की गई हो इस धारा के

अन्तर्गत नहीं आता। हंगामा होने के लिए एक दूसरे के बीच लड़ाई होनी चाहिए। इस प्रकार की लड़ाई नहीं कि एक पक्ष हमला करता है और दूसरा पक्ष नहीं करता या उसका मुकाबला नहीं करता है। हंगामें के लिए झगड़ा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होना चाहिए। यह साबित हो कि झगड़े से लोगों में आंतक फैला है या डर है।

राम और श्याम दोनों भाई है। किसी बात पर दोनों अपने घर में बैठकर झगड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वह झगड़ा करते हुए घर से बाहर आ गये और राम की सहायता के लिए उसका मित्र मोहन भी इस झगड़े में शामिल हो गया और गालियां निकालते–2 वह एक दूसरे पर पत्थर फैंकने लगे। इससे रास्ते में से निकलने वालों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई और मुहल्ले की शान्ति में विघ्न पड़ गया। यह स्थिति लोक स्थान पर दंगे की स्थिति है। वह दोनों यानि राम और श्याम जब तक घर के अन्दर बहस कर रहे थे तो वह उनका व्यक्तिगत मामला था और किसी दूसरे का इस से कोई खतरा भी नहीं था परन्तु घर से बाहर निकलने और एक दूसरे के उपर पत्थर मारने के साथ ही उन्होंने दंगे की स्थिति पैदा कर दी।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 160

• समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार होना

यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा जारी किए समन नोटिस या आदेश की तामील न होने देने के लिए छुप जाये तो उसे इस अपराध के लिए इस धारा के अधीन ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रूपये तक के जुर्माने से दंडित कर सकती है और यदि समन इस प्रयोजन से जारी किया गया हो कि वह व्यक्ति या तो स्वंय उपस्थित हो या अपने प्रतिनिधि

को उपस्थित करें या सम्बन्धित न्यायालय में कोई दस्तावेज उपस्थित करें तो ऐसे समन की तामील होने से छुप जायें तो उसे ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रूपये तक के जुर्माने से दंडित कर सकती है।

आवश्यक अंग: इस धारा के अन्तर्गत समन नोटिस या आदेश ऐसे लोक सेवक द्वारा जारी होना चाहिए जो इसे जारी करने की शक्ति रखता हो। पंचायत सदस्य प्रधान या उप प्रधान जब वह पंचायत की कार्यवाही कर रहें हो तो लोक सेवक माने जाते हैं।

ग्राम पंचायत ऐसी स्थिति में किसी के द्वारा शिकायत करने पर या जानकारी मिलने पर अपने आपसे भी इन के खिलाफ धारा 172 के अधीन कार्यवाही करते हुए ज्यादा से ज्यादा 100 रूपये तक का जुर्माना लगा सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 173

• समनों की तामील में रूकावट पैदा करना

यदि कोई व्यक्ति समन की तामील में रूकावट डालता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है उदाहरण के लिए राम को समन द्वारा पचांयत घर में बुलाया गया है उसके घर पर न होने के कारण चौकीदार यह सूचना उसके घर के दरवाजे पर चिपका आया है उसका पडोसी बलदेव इस सूचना को फाड़ देता है तो उसके खिलाफ धारा 173 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है तथा ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है। इसके लिए निम्न अंगों का होना आवश्यक है।

- वैध अधिकारी द्वारा समन/नोटिस जारी होना चाहिए।
- ऐसे समन/नोटिस की तामील करने में रूकावट पैदा न करना।
- चसपान करने से रोकना।
- चसपान किये गये समन/नोटिस को फाड़ना।
- जानबूझ कर ऐसे समन/नोटिस की घोषणा करने से रोकना।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 178

• शपथ लेने से इन्कार करना

यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक द्वारा ऐसी मांग करने पर शपथ लेने से इन्कार करता है तो ग्राम पंचायत उसे अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 179

• किसी अधिकृत लोक सेवक के प्रश्नों के उत्तर देने से इन्कार करना

जो व्यक्ति किसी लोक सेवक के सामने किसी विषय पर कानूनन सत्य बोलने के लिए बाध्य है तथा ऐसे लोक सेवक के पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देने से इन्कार करता है तो उसे ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 180

• अपने कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करना

यदि कोई व्यक्ति पंचायत द्वारा पूछी गई जानकारी दे देता है जिसे लिख लिया जाता है परन्तु वह उस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर देता है तो इस धारा के अधीन वह दोषी है और पंचायत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है तथा ग्राम पंचायत उसे अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

स्थिति–1 राम और श्याम के झगड़े मेंसमन मिलने पर पंचायत में हाजिर हो जाता है मगर कुछ भी बताने से इन्कार कर देता है राम इसके लिए धारा 179 के अधीन अपराधी है।

स्थिति–2 राम को समन देने के लिए चौकीदार दो तीन बार उसके घर गया परन्तु राम धर पर न मिलने के कारण समन को उसके धर के बाहर चिपका दिया ताकि राम समन को देख ले। राम के पड़ौसी हरदेव ने उस समन को फाड़ दिया । हरदेव धारा 173 के अनुसार अपराधी है

स्थिति–3 राम समन मिलने पर पंचायत में हाजिर हो जाता है परन्तु जब उससे सच बोलने की शपथ लेने के लए कहा जाता है तो वह ऐसी शपथ लेने से इन्कार कर देता है। ऐसी स्थिति में राम धारा 178 के अधीन अपराधी है।

स्थिति–4: राम समन मिलने पर पंचायत में हाजिर हो जाता है मगर कुछ भी बताने से इन्कार कर देता है राम इसके लिए धारा 179 के अधीन अपराधी है।

स्थिति–5: राम द्वारा बताई गई सूचना को पचायत में लिख दिया जाता है और उसे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है परन्तु वह इन्कार कर देता है। इसके लिए राम धारा 180 के अन्तर्गत अपराधी माना जायेगा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228

- **न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का जानबूझ कर अपमान करना या उसके कार्य में रूकावट डालना**

ऐसे अपराधी को इस धारा के अधीन ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।उदाहरण के लिए बन्जार पंचायत किसी मुकद्धमें की छानबीन कर रही थी तभी वहां पर बैठे श्याम ने खड़े होकर हल्ला करना शुरू कर दिया जिससे पंचायत के काम में रूकावट पड़ गई और कार्यवाही रोकनी पड़ी पंचायत ऐसी स्थिति में श्याम के खिलाफ धारा 228 के अधीन कार्यवाही कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 264 से 267

- **माप तोल के उपकरणों को धोखे की नियत से प्रयोग करना**

तोल के उपकरणों को यह जानते हुए कि यह खोटा है या ठीक नहीं है तथा धोखे की नियत से इस का प्रयोग करता है तो उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 264, मापने या तोलने के लिए गलत गज/मीटर या वाट का जानबूझ कर प्रयोग करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 265, झूठे या गलत माप तोल को अपने पास रखने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 266 तथा गलत उपकरण बनाने या बेचने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 267 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कार्यवाही कर सकती है तथा ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269

• मानव जीवन को खतरा पैदा करना

जो व्यक्ति गैरकानूनी या लापरवाही से ऐसे कार्य करता है जिससे किसी प्रकार के मानव जीवन को खतरा हो तो उसे इस अपराध के लिए ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 277

• सार्वजनिक जलाश्य के पानी को जानबूझ कर इस प्रकार गन्दा करना

कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी सार्वजनिक जलाशय के पानी को जानबूझ कर इस प्रकार गन्दा करता है कि वह साधारणतयाः प्रयोग करने के अयोग्य हो जाये तो उसे इस प्रकार के अपराध के लिए ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 283

• सार्वजनिक मार्ग या जल मार्ग में किसी के लिए कोई खतरा या रूकावट पैदा करना

जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक मार्ग या जल मार्ग में किसी के लिए कोई खतरा या रूकावट पैदा करे तो ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 285

- **आग या ज्वलनशील पदार्थ से कोई काम इस असावधानी से करना जिस से मानव जीवन को खतरा हो**

जो कोई व्यक्ति आग या ज्वलनशील पदार्थ से कोई काम इस असावधानी से करें कि उससे किसी मनुष्य की मृत्यु होने की आशंका हो या उससे किसी अन्य व्यक्ति को चोट आदि लगने की सम्भावना हो या अपने कब्जे में इस प्रकार के पदार्थ रखने में असावधानी बरतता हो जिससे मानव जीवन को खतरा पैदा हो तो ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 286

- **किसी विस्फोटक पदार्थ का गलत इस्तेमाल करना जिस से मानव जीवन को खतरा हो**

किसी विस्फोटक पदार्थ का जल्दबाजी या लापरवाही में गलत इस्तेमाल करने पर **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 286** के अनुसार दण्ड का प्रावधान है। ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 288

- **किसी ऐसे भवन जिस से मानव जीवन को खतरा हो से वचाव करने में चूक करना**

किसी ऐसे भवन को लापरवाही बरतते हुए ना तो उसे गिराना और न ही उसकी मुरम्मत करवाना जबकि साफ नजर आ रहा हो कि वह कभी भी

गिर सकता है और इससे लोगों को जानमाल का नुकसान होने की सम्भावना हो तो ऐसे आचरण के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे किसी का अपना ही मकान बुरी हालत में है और वह लापरवाही बरतते हुए यह कहता है कि मकान उसका अपना है और जब चाहे इसे गिरायेगा या मुरम्मत करवायेगा लेकिन यह कानूनन अपराध है क्योंकि बेशक वह अपनी सम्पति के साथ ही लापरवाही बरत रहा हो मगर उसकी इस हरकत से जानमाल का नुकसान होने की सम्भावना है। इसकी शिकायत पर या अपने आप धारा 288 के अन्तर्गत पचांयत कार्यवाही कर सकती है दोषी को अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 289

• किसी पशु के सम्बन्ध में असावधानी बरतना

किसी जीव जन्तु को रखना और उसको रखने में लापरवाही बरतना जिससे दूसरे लोगों के जीवन को खतरा हो, कानूनन जुर्म है और पंचायत इसके खिलाफ शिकायत आने पर या फिर जानकारी मिलने पर भी कार्यवाही कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 290

• लोक न्यूसैंस करना

न्यूसैंस का अर्थ है दूसरे लोगों की शांति भंग करना। हम आजादी के नाम पर दूसरे लोगों के जीवन को संकट में नहीं डाल सकते है। हमारी आजादी वहीं तक सीमित है जहां तक वह दूसरे के जीवन में दखल

न दें। उदाहरण के लिए कोई आदमी आने जाने के रास्तें में चाहे वह उसके अपने घर के सामने क्यों न हो, खाई आदि नहीं खोद सकता है क्योंकि इससे आम आने जाने वाले लोगों के लिए इसमें गिर कर चोट खाने का डर बना रहेगा ऐसी स्थिति में पंचायत उस आदमी को चेतावनी देकर रास्ता ठीक करवाने के लिए कह सकती है और ऐसा न करने पर उसके खिलाफ धारा 290 के अधीन कार्यवाही कर सकती है। इस धारा के अन्तर्गत कोई सार्वजनिक संकट पैदा करने के लिए जिसकी परिभाषा आईपीसी की धारा 269 में दी है दोषी पाया गया है। ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294

• अश्लील कार्य और गाने

यदि कोई व्यक्ति दूसरे लोगों को रंजिश पंहुचाने की हैसीयत से किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कार्य करता है या किसी सार्वजनिक स्थान या उसके नजदीक कोई अश्लील गाने, शब्द या कविता कहें तो उस के विरूद्ध ग्राम पंचायत शिकायत आने पर या फिर जानकारी मिलने पर कार्यवाही कर सकती है तथा दोषी को अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323

• स्वेच्छा पूर्वक चोट पंहुचाना

उस दशा को छोड़कर जिसके लिए धारा 324 में व्यवस्था की

गई है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जाबूझ कर चोट या आघात पहुंचाये तो ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 334

• उतेजना मिलने पर स्वेच्छापूर्वक चोट पंहुचाना

कई बार किसी छोटी सी बात पर अचानक किसी को ऐसा गुस्सा आ जाता है या गुस्सा दिला दिया जाता है और वह ऐसी हरकत कर बैठता है जिसके परिणाम का न तो उसे अनुमान था और न ही ऐसी इच्छा थी तो ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है। इस धारा में यह ध्यान में रखता पड़ता है कि जो भी घटना घटी है वह अचानक हुई है। धारा 323 के मुकाबले धारा 334 में कम सजा दी जाती है अतः पंचायत को भी कार्यवाही करते समय इस अन्तर को ध्यान में रखना चाहिए।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341

• किसी व्यक्ति को संदोष अवरूद्ध करना

किसी भी व्यक्ति को उस रास्ते से आने जाने के लिए रोकना जोकि आम रास्ता है में रूकावट डालना कानूनन अपराध है परन्तु अगर कोई स्थान किसी की व्यक्तिगत सम्पति है तो वह व्यक्ति उस रास्तें से जाने के लिए रोक सकता है। कुछ क्षेत्र जैसे सेना के क्षेत्र आदि वर्जित क्षेत्र घोषित है जिसमें आम आदमी का प्रवेश अवैध होता है। इस धारा के अधीन

कार्यवाही करते समय पंचायत को यह ध्यान में रखना होगा कि जिस रास्ते से जाने के लिए रोका गया है वह आम रास्ता होना चाहिए तभी शिकायत दर्ज की जा सकती है। ग्राम पंचायत शिकायत आने पर या फिर जानकारी मिलने पर दोषी को अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379

• चोरी के लिए दण्ड

चोरी उस वस्तु की, की जा सकती है जो चल सम्पति हो, जैसे वर्तन, कपड़े, गाय, बकरी तथा जेवर आदि परन्तु इसके साथ यह ही ध्यान में रखने योग्य है कि चोरी का अर्थ है किसी दूसरे की चल सम्पति को इस नियत से उठा लेना कि उसे हमेशा के लिए अपने पास रखा जा सकें, किसी को दिया जा सकें अथवा बेच कर धन कमाया जा सकें अगर किसी दूसरे की चल सम्पति मात्र यही सोच कर ले जाई जाये कि उसके इस्तेमाल की अचानक जरूरत आन पड़ी है और इस्तेमाल के बाद उसे वापिस कर दिया जायेगा, वह चोरी नहीं कहलाता।

पंचायत 250 रूपये तक की चोरी के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है मगर वह चोरी उस व्यक्ति की पहली चोरी हो तभी पंचायत इसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है यानि न तो किसी अदालत द्वारा चोरी के लिए पहले दण्डित किया गया हो और न ही पंचायत द्वारा दण्डित किया गया हो। वह आदमी बिगड़ा हुआ अपराधी न हो और न ही जुआ खेलने अथवा खिलाने के लिए दण्डित किया जा चुका हो। अगर उस व्यक्ति को चोरी के

मामले या जुआ खेलने/खिलाने के मामले में पहले ही सजा हुई हो, तो वह केस अदालत को सौंपा जायेगा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 403

• चल सम्पति का बेईमानी से दुरूपयोग करना

धारा 403 के अधीन किसी दूसरे की चल सम्पति को बेईमानी पूर्वक हस्तेमाल करने के लिए पंचायत कार्यवाही कर सकती है परन्तु इसके साथ यह भी शर्त है कि वह वस्तु मु0 250/—रूपये तक की कीमत की हो यानि इससे अधिक मूल्य की न हो।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406

• अमानत में खयानत

जो किसी के विश्वास को तोड़ने का अपराधी बनता है तो भा0द0सं0 की धारा 406 के तहत उस के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है । धारा 405 में दी गई परिभाषा अनुसार जिसे सम्पति सौंपी गई हो वह बेईमानी से उसका उपयोग करता हो या बेचता हो या उन निर्देशों का उल्लधन करता हो तो कानून द्वारा ऐसी सम्पति के लिए विहित किया गया है ग्राम पंचायत इस धारा के अन्तर्गत भी मु0 250 रूपये तक के मामले की सुनवाई कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411

• चोरी की सम्पति को दुर्भावना से रखना या लेना

अगर कोई किसी ऐसी वस्तु को जो चोरी की हो को अपने पास रखता है या खरीदता है और ऐसी वस्तु की कीमत 250 तक की है तो पंचायत इस तरह चोरी की वस्तु को खरीदने अथवा अपने पास रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है परन्तु अगर कोई यह नहीं जानता है कि वह वस्तु चुराई गई है बल्कि यह मानकर कि वह बेचने वाले की अपनी वस्तु है और वह जरूरतवश उसे बेच रहा है, खरीदता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 417

• धोखा देने के लिए दण्ड

धारा 417 के अधीन छल करना यानि किसी को धोखा देने के इरादे से किया गया कार्य कानूनन अपराध माना जाता है और इस मामले पर कार्यवाही करने का अधिकार पंचायत को है। मगर यहां पर वह वस्तु जिसको लेकर छल किया गया हो की किमत 250रूपये तक की होनी चाहिए।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 426 व 427

• उत्पात या शरारत के लिए दण्ड

अगर कोई इस तरह का उत्पात करता है जिससे दूसरों को नुकसान

हो तो ऐसी शरारत करने वालों के खिलाफ ग्राम पंचायत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 426 के अर्न्तगत कार्यवाही कर सकती है परन्तु इसके साथ यह भी शर्त है कि इस शरारत या उत्पात द्वारा हुए नुकसान का मूल्य 50 रूपये से अधिक न हो । यदि शरारत द्वारा किया गया नुकसान 50 रूपये से अधिक हो तो धारा 427 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 428

• 10 रूपये मूल्य के पशु को विकलांग करना

यदि कोई उत्पात करके किसी जानवर जिसकी कीमत 10 रूपये से अधिक न हो को चोट से, जहर से या अन्य कारण से अंपग बनाये तो दोषी को ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 429

• 50 रूपये के मूल्य के पशु को अंपग तथा वध करने के लिए दण्ड

यदि कोई उत्पात करके किसी के पशु को जिस का मूल्य 50 रूपये तक का हो को जान से मारे या अपंग बनाये या उसे इस्तेमाल के नाकाबिल बनाये तो दोषी को ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447

• अनाधिकृत प्रवेश के लिए दण्ड

यदि कोई किसी बुरी नियत से उस स्थान पर जायेगा, जहां पर जाने का उसे अधिकार नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 447 (क) अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। अनाधिकृत प्रवेश की परिभाषा धारा 441 में दी गई है जो इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति किसी की सम्पति में जो दूसरे के कब्जें में है, इस उद्वेश्य से प्रवेश करता है कि कोई अपराध किया जाये या उसे धमकाया जाये, अपमान किया जाये या उस व्यक्ति को तंग किया जाये जिसके कब्जे में सम्पति है तो उसे अपराधी कहा जायेगा। ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504

• शान्ति भंग करने के लिए उतेजित करने की इच्छा से अपमान करना

यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर किसी का अपमान करता है या उस व्यक्ति को उतेजित करता है जिससे साफ जाहिर हो कि वह लोक शांति को भंग कर देगा तो उसके खिलाफ इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506

• अपराधात्मक धमकी के लिए दण्ड

किसी को इस प्रकार से धमकी देना कि वह डर जाये, इस धारा के अधीन आता है और पंचायत इसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। यदि धमकी जान से मारने की हो या गम्भीर चोट पंहुचाने की हो या किसी सम्पति को आग से नष्ट करने की धमकी हो या ऐसे अपराध करने की हो जिसमें मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास या सात साल के कारावास की सजा दी जा सकती है या किसी स्त्री पर अशुद्धता का आरोप लगाया जाये तो ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 509

• किसी स्त्री की लाज को अपमानित करने की नियत से कोई शब्द बोलना या शारीरिक चेष्टा करना

यदि कोई किसी स्त्री की लाज को अपमानित करने की नियत से कोई शब्द कहे या आवाज करे या संकेत करे या कोई वस्तु दिखाये, यह चाहते हुए कि वह स्त्री उस बात या आवाज को सुने या ऐसे संकेत या चीज को देखें या किसी स्त्री के एंकात स्थान में बिना बुलाये प्रवेश करता हैं तो वह इस धारा के अधीन अपराधी है। पंचायत शिकायत मिलने पर या अपने आप से भी धारा 509 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती है और दोषी को अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 510

• शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर दुर्व्यवहार करना

यदि कोई शराब पीकर या कोई दूसरा नशा करके किसी सार्वजनिक स्थान पर या फिर किसी के घर में घुस कर, जहां जाने का उसे अधिकार न हो, हल्ला करे, तो 10 रूपये जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। इस धारा के अधीन शराब पीना जुल्म नहीं है बल्कि शराब पीकर दुर्व्यवहार करना दण्डनीय है।

भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के अतिरिक्त विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत पंचायत कार्यवाही कर सकती है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

टीका अधिनियम 1880 (1880 का 13)

धारा 22 के अन्तर्गत जो टिका अधिनियम की धारा 6 का उल्लघन करेगा उसे इस धारा के अधीन 100 रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

पशु अनाधिकृत प्रवेश अधिनियम 1871

यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती पशुओं को इस अधिनियम के अधीन पकड़े जाने में रूकावट पैदा करें या पकड़ने के बाद फाटक में ले जाने वाले

से या फाटक से छुड़ाये उसे इस धारा के अधीन 100 रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

किशोर धुम्रपान अधिनियम, 1852

धारा–3: जो व्यक्ति किसी बच्चे जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, को तम्बाकू बेचता या देता है उसे पहली बार 10 रूपये, दूसरी बार 20 रूपये तथा तीसरी बार 50 रूपये तक का दण्ड किया जा सकता है।

धारा–4: यदि कोई बालक 16 साल का हो और सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू पिये तो लम्बरदार, मान्यता प्राप्त स्कूल या कालेज के अध्यापक, नगरपालिका का सदस्य, जिला अध्यक्ष, समिति क्षेत्र सदस्य, वकील या पंचायत का सदस्य या मैजिस्ट्रैट को यह अधिकार होगा कि वह तम्बाकू छीन ले या तबाह कर दें।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867:

धारा–3: किसी मकान, कमरा, तम्बू, गाड़ी या स्थान का मालिक इसमें जुआ घर खोले या प्रयोग करे या इस प्रकार जुआ खेलने वालों को दान दे उसे इस धारा के अधीन दण्डित किया जा सकता है।

धारा–4: जो उपरोक्त मुकाम आदि पर ताश मोहरें इत्यादि से जुआ खेलता हुआ पाया जाये तो उसे भी इस धारा के अधीन दण्डित किया जा सकता है।

धारा–7: ऐसे जुआ खेलने के स्थान पर पाया गया कोई व्यक्ति या गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति किसी मैजिस्ट्रैट या पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम पता देने से इन्कार करे या झूठा नाम व पता दे तो उसे इस धारा के अधीन सजा दी जा सकती है।

दीवानी मामलेः

दीवानी मामलों का अर्थ है कि पैसे या कारोबार से सम्बन्धित विवाद। ***दीवानी मामलों को वाद कहते हैं तथा वाद करने वाले को वादी व जिसके खिलाफ दायर किया गया हो को प्रतिवादी कहतें हैं।***

दीवानी मामलों में जिसके खिलाफ शिकायत की गई हैं वह व्यक्ति जहां रहता हो या कारोबार करता हो उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत को सुनवाई का अधिकार है चाहे विवाद कहीं पर भी पैदा हुआ हो। यदि किसी वाद में एक से ज्यादा प्रतिवादी हो और वह विभिन्न ग्राम पंचायतों में रहते हों या कारोबार करते हों तो उस दशा में वादी को यह अधिकार होगा कि उनमें से किसी भी एक पंचायत में वाद दायर कर सकता है और पंचायत उस वाद को सुन सकती है।

श्याम लाल ग्राम पंचायत चायल का रहने वाला है और उसकी कुछ जमीन ग्राम पंचायत सराहन में है। जमीन दूर होने के कारण उसने राम सिंह को जमीन आधे पर कमाने हेतू दी तथा यह तय हुआ कि पैदावार में से आधा हिस्सा श्यामलाल को देगा या फिर पैसे देगा। जब फसल तैयार हुई तो श्यामलाल को राम सिंह ने पैसे नहीं दिये वह मामल दर्ज करना चाहता है। यह मामला किस पंचायत में दर्ज होगा।

अब श्यामलाल ग्राम पंचायत चायल का रहने वाला है और राम सिंह ग्राम पंचायत सराहन का रहने वाला है। जमीन जिस पर विवाद हुआ ग्राम पंचायत सराहन में है तथा जिस व्यक्ति से विवाद है वह ग्राम पचायत सराहन के श्रेत्राधिकार में रहता है। इसका कानूनी उत्तर है कि श्यामलाल को ग्राम पंचायत सराहन में मामला दर्ज करना होगा और ग्राम पंचायत चायल जहां का वह रहने वाला है को मामला दर्ज करने या सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। निवासी कहीं के भी हो जमीन जिस पंचायत में है मुकदमा भी उसी पंचायत में चलेगा।

❖ दीवानी वाद तथा दीवानी वाद के अधिकार

अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 2000 रूपये तक के मूल्य के निम्नलिखित दीवानी वाद सुन सकती हैः–

- **अचल सम्पति से सम्बन्धित संविदा को छोड़कर अन्य संविदा से प्राप्त धन के लिए किया गया वाद।**
- **चल सम्पति या उसकी मूल्य के लिए किया गया वाद।**
- **किसी सम्पति को हानि पहुंचाने पर हानि के पूर्ति के लिए वाद।**
- **पशुओं के अनाधिकार प्रवेश में की गई क्षति के लिए किया गया वाद।**

हिमाचल प्रदेश काश्तकार और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 58(3) के खण्ड ख और झ के अधीन लगान की वसूली के लिए किया गया वाद।

यदि किसी वाद में दोनों पक्ष लिखित इकरारनामा के आधार पर इस बात पर सहमत हो कि वह उस वाद का निर्णय ग्राम पंचायत से करवायेंगे तो ग्राम पंचायत धारा 42 के अन्तर्गत किसी भी मूल्य का वाद सुन सकती है। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच इकरारनामा या शपथपत्र हुआ होना चाहिए।

धारा 44 के अन्तर्गत निम्न लिखित प्रकार के वाद ग्राम पंचायत नहीं सुन सकती हैः–

- किसी वसीयत के अधीन सम्पति या उसके भाग के लिए या वसीयत न होने की दशा में विरासत से उत्पन्न वाद।
- किसी सांझेदारी के लेखों में बकाया के लिए किया गया वाद।
- राज्य सरकार द्वारा या उसके विरूद्व पद की हैसियत से किये गये किसी काम से उत्पन्न वाद।
- किसी नावालिग द्वारा या उसके विरूद्व किया गया वाद।

❖ वाद में सम्पूर्ण दावे का सम्मिलित किया जाना (धारा 45)

धारा 45 के अधीन प्रत्येक वाद में पूर्ण मांग होनी चाहिए। यदि वादी अपने वाद को पंचायत के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए अपनी मांग का कुछ भाग छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है परन्तु छोड़ी हुई मांग के बारे में दोबारा दावा नहीं कर सकता।

परिसीमा धारा 46 के अधीन ग्राम पंचायत के समक्ष दिवानी वाद **अनुसूचि–4** में वर्णित समय सीमा के अन्दर दायर होना चाहिए। यदि समय सीमा समाप्त हो जाती है तो वाद खारिज कर दिया जायेगा चाहे प्रतिवादी यह आपति करे या न करे। समय परिसीमा निम्न प्रकार से हैः–

- किसी संविदा पर देय धन के लिए तीन वर्ष जब से वादी को धन देय हो जायें
- चल सम्पति या उसके मूल्य की वसूली के लिए जब से वादी चल सम्पति के मूल्य को लेने का हकदार हो जाये।
- किसी चल सम्पति को गलत तरीके से लेने या क्षति पहुंचाने के लिए क्षतिपूर्ति के लिए तीन वर्ष जब से चल सम्पति को क्षति पहुंचाई गई हो।
- पशुओं द्वारा किए गए नुकसान के लिए एक वर्ष जब से इस प्रकार का नुकसान किया गया हैं।

राजस्व कार्यवाही

माल सम्बन्धी कार्यवाही सीधी पंचायत में दायर नहीं होगी। मामला सम्बन्धित राजस्व न्यायालय में दायर होगा तथा न्यायालय उसे सम्बन्धित ग्राम पंचायत को सुनवाई हेतु भेज सकता है। मामला उस पंचायत को दिया जायेगा जिसके क्षेत्राधिकार में वह जमीन है। यदि वह भूमि दो पंचायत क्षेत्र में स्थित हो तो जिस पंचायत क्षेत्र में उस भूमि का अधिक भाग पड़ता हो उस पंचायत को उस कार्यवाही को भेजा जायेगा।

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 46 के अन्तर्गत सम्बन्धित राजस्व न्यायालय सभी प्राप्त प्रार्थना पत्रों को ग्राम पंचायत को हस्ता़न्तरित करेगा। यदि अदालत माल किसी प्रार्थना पत्र को पंचायत को न भेजना चाहे तो वह कारण स्पष्ट करते हुए उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) के आदेश हेतु प्रेषित करेंगे।

उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) यह निर्णय करेगा कि यह प्रार्थना पत्र पंचायत को भेजा जाए या नहीं। ग्राम पंचायत द्वारा धारा 46 की कार्यवाही के सम्बन्ध में तथ्यों की जानकारी के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो वाद या अभियोग के निपटारे के लिए निर्धारित की गई है।

भरण पोषण सम्बन्धी मामले–धारा 32(2)

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से 128 तक पत्नी, बच्चों व माता–पिता से भरण–पोषण सम्बन्धी सामाजिक समस्या के निवारण के लिए कानून का प्रावधान किया गया है तथा हिमाचल प्रदेश पचांयती राज अधिनियम की धारा 32(2) के अनुसार पंचायतों को भरण–पोषण से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई का अधिकार है। इस धारा के तहत पंचायत को 500 रूपये मासिक तक भरण पोषण खर्चा दिलाने का अधिकार है।

इस धारा के अनुसार पंचायतें भरण–पोषण खर्चा निम्न परिस्थितियों में दिलवा सकती हैः–

- कानूनी पत्नी को जो अपना खर्चा स्वंय उठाने में असमर्थ हो।
- बच्चें को चाहे वे कानूनी हो या गैर कानूनी 18 वर्ष की उम्र तक।
- मानसिक अथवा विकलांग बच्चों को चाहे वह 18 वर्ष से अधिक हो।
- माता पिता को, जो अपना पोषण करने में असमर्थ हो।
- यदि नाबालिग पुत्री की नाबालिग लड़के के साथ शादी हुई है और उसे लड़के के पास भरण पोषण के साधन नहीं है, तो ऐसी पुत्री के पिता को खर्चा देने के लिए कहा जा सकता है जब तक वह नावालिग लड़का बालिग नहीं हो जाता।
- यदि पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा पत्नी को किसी अन्य किस्म का मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट पहुंचाता हो तो पत्नी पति से अलग रहकर खर्चें की मांग कर सकती है।
- यदि पति पत्नी अपनी सहमति से अलग रह रहें हो अथवा पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही हो तो भरण–पोषण का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

ग्राम पंचायत द्वारा कुछ मामलों की सुनवाई नहीं की जा सकती है

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 के अनुसार कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें पचांयत अधिकार होने के वाबजूद सुनवाई नहीं कर सकती है:–

- अभियुक्त पहले ही तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडित किया जा चुका हो।
- चोरी करने के अपराध में किसी पंचायत या न्यायालय द्वारा जुर्माना अथवा कैद से पहले ही दंडित किया जा चुका है।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 109 तथा 110 के अधीन अभियुक्त को सदाचार के लिए बन्धित किया गया है।
- जुआ खेलने के लिए दंडित किया जा चुका है।
- वह सरकारी नौकर है और जिस मामले को लेकर झगड़ा है वह उसने सरकारी नौकर की हैसियत से किया है।
- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऐसे किसी वाद, कार्यवाही या मामले को नहीं सुनेगी जिसका पहले अधिकार सम्पन्न न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया हो या जिसकी सुनवाई की गई हो या की जा रही हो और जिस में वही पक्ष हो।
- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 51 के अधीन यदि किसी न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्व किसी अपराध के बारे में अभियोग विचाराधीन हो या अभियुक्त में किसी अपराध के सम्बन्ध में ट्रायल हुई हो तो उस सम्बन्ध में कोई भी ग्राम पंचायत किसी भी उक्त अपराध की समायत नहीं करेगी जिसके लिए अभियुक्त पर दोषारोपण किया गया हो या उसे दोषी ठहराया गया हो।

मामले को वापिस करना धारा 37

इस धारा में वे शक्तियां स्पष्ट की गई है जिसके अनुसार पंचायत मामले को उचित अदालत में दायर करने हेतु वापिस कर सकती है यदि :–

- मामला ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।
- पंचायत को लगता है कि मामला काफी गम्भीर है, तो पंचायत धारा 33 के अनुसार ज्यादा से ज्यादा 100 रूपये जुर्माना लगा सकती है। पचांयत सदस्यों का मत है कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए 100 रूपये जुर्माना मामूली लगता है या न्यायोचित नहीं है ऐसी स्थिति में पंचायत प्रस्ताव द्वारा मामला अदालत को सुपुर्द करने बारे वादी को कह सकती है।
- मामला काफी गम्भीर तथा जटिल है। पंचायत के सदस्य इस मामले को सुलझाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। ऐसी स्थिति में पंचायत प्रस्ताव द्वारा वह मामला अदालत को भेजने हेतु वादी को कह सकती है।

मामला दर्ज करना तथा न्यायपीठों की नियुक्ति

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 53 अनुसार कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान को या उसकी गैरहाजरी में उप प्रधान को लिखित रूप में या मौखिक रूप में अपना मामला पेश कर सकता है। प्रत्येक दीवानी बाद में शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत की राशि के बारे में बताना होगा और पंचायत अधिनियम के अनुसार निर्धारित फीस देनी होगी। **न्यायालय की फीस पंचायत में लागू नहीं होगी।**

यदि मामला या शिकायत मौखिक रूप में पेश की जाती है तो प्रधान या उप प्रधान, जो भी हाजिर हो, मामले को लिखित रूप में तैयार करेगा और शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान उस पर लेगा। इस लिखित शिकायत को संक्षेप में पंचायत कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर में लिखा जायेगा। मामले को निपटाने के लिए तीन पंचों का एक बैंच गठित किया जायेगा और मामले की पहली सुनवाई की तारीख नियत करके न्यायापीठ के सदस्यों को, शिकायतकर्ता और जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, को सूचित कर दी जाएगी। **परन्तु कोई भी पंच यदि उस वार्ड से चुना गया है जिसमें घटना घटी हो तो वह बैंच में शामिल नहीं किया जायेगा तथा अधिनियम की धारा 30 अनुसार कोई भी पंच किसी भी प्रकार के दावे या मामले जिनमें उसका नजदीकी रिश्तेदार जैसे माता–पिता, दादा–दादी, नाना–नानी, लड़का–लड़की, भाई–भतीजा, सास–ससुर, पति–पत्नी, नौकर व्यवसाय में हिस्सेदार या ऐसे मामले जिसमें वह पंच व्यक्तिगत रूचि रखता हो, के मुकद्धमें की सुनवाई या कार्यवाही में सम्मिलित नहीं हो सकता। धारा 30(1) के अधीन जो बन्धन लगाये गये हैं के कारण**

यदि धर्मासन बनाने में बाधा आती है तो इस प्रकार का मामला यदि फौजदारी हो तो जिला मैजिस्ट्रैट, दिवानी हो तो जिला न्यायधीश और माल सम्बन्धी कार्यवाही हो तो कलैक्टर को भेज देना होगा।

न्यायपीठ पहली सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को अपने में से एक अध्यक्ष चुनेगा। **यदि प्रधान या उप–प्रधान इस बैंच में शामिल हो तो वही न्यायपीठ के अध्यक्ष रहेंगें। मामले की कार्यवाही विहित रीति से आरम्भ की जाएगी।**

धारा 36 के अनुसार कोई भी मामला पंचायत खारिज़ कर सकती है यदि परिवादी का परीक्षण करने पर यह लगता है कि मामला वादी द्वारा बेहद मामूली, प्रतिवादी को तंग करने की नियत से दायर किया गया हो अथवा झूठा हो।

धर्मासन की कार्यवाही जब चल रही हो तब प्रधान, उप–प्रधान या कोई सदस्य, जो धर्मासन में न हो, न तो अपना मत रख सकता है और न ही निर्णय में मतदान कर सकता है परन्तु मामले की सुनवाई वह देख व सुन सकता है ।

मामले को सुनने की प्रक्रिया

धर्मासन की पहली बैठक में सर्वप्रथम अभियोगी के ब्यान लिये जायेंगे तथा अभियोगी को अभियोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार के साक्ष्य या गवाही को पैश करने के लिए अगली तारीख दी जाएगी। दूसरी पेशी पर उन सभी गवाहों के ब्यान लिये जायेगें। इन ब्यानों या छानबीन के बाद यदि धर्मासन इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि अभियोग झूठा व निराधार है तो पचांयत इसे खारिज कर सकती है अन्यथा अभियुक्त को बुलाने के आदेश दे सकती है। जब अभियुक्त धर्मासन के सामने उपस्थित होता है तो उस पर लगाये गये आरोपों को उसे सुनाया जायेगा और यदि अभियुक्त आरापों को स्वेच्छा और स्पष्ट तौर पर स्वीकार करता है तो बिना साक्ष्य अभिलिखित किये उसे दोषसिद्ध किया जा सकेगा तथा उसी आधार पर दण्ड दिया जा सकता है और यदि वह लगाये गये आरोपों से इन्कार करता है तो उस दशा में धर्मासन अभियोगी और अभियुक्त दोनों को अपने–2 गवाह पेश करने का आदेश देगा। गवाहों के ब्यानों को न्यायपीठ द्वारा नियम 51 के अनुसार लेखवद्ध किया जायेगा। सर्वप्रथम अभियोगी पक्ष के गवाहों के ब्यान तथा बाद में अभियुक्त पक्ष के गवाहों के ब्यान लिये जायेंगे। अभियुक्त को छोड़ कर किसी व्यक्ति का परीक्षण करने से पूर्व निम्नलिखित शपथ दिलवाई जायेगी

" मैं सच कहूंगा और सच के सिवाए कुछ नहीं कहूंगा, भगवान मेरी सहायता करे। "

या

" मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सच कहूंगा और सच के सिवाए कुछ नहीं कहूंगा। "

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष (अभियुक्त को छोड़कर) से जिरह कर सकते हैं। इस कार्यवाही के बाद धर्मासन दोनों पक्ष को बाहर भेजेगा और विचार विमर्श करके सर्वसम्मति से निर्णय देगा। यदि मतभेद हो जाये तो निर्णय बहुमत से होगा। निर्णय मिसल पर लेखवद्ध करके धर्मासन उस पर हस्ताक्षर करेगा और दोनों पक्षों को भीतर बुला कर निर्णय सुनाया जायेगा।

धर्मासन प्रत्येक सम्भव तरीके से सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। सच्चाई जानने के लिए कुछ भी तय नहीं किया जा सकता है यानि कोई ऐसा बना बनाया फार्मूला नहीं है। अलग–2 स्थिति में अलग–2 ढंग अपनाये जा सकते हैं। सच्चाई जानने के लिए ग्राम पंचायत मौका–ए–वारदात पर भी जा सकती है। पंचायत उन सबूतों पर गौर करेगी जो दोनों पक्षों द्वारा पेश किये जाते हैं। पंचायत इसके साथ और भी सबूत मांग सकती है। सारे केस की कानूनी रूप से जांच पड़ताल करने के बाद पंचायत अपना फैसला लिखित रूप में पारित करेगी। **पंचायत अपने द्वारा पारित फैसले को बदल नहीं सकती है परन्तु कोई लिखने में हुई भूल का सुधार किया जा सकता है।**

पचांयत को यह भी अधिकार है कि अगर वह उचित समझे तो लागत सहित भी अपने फैसलें को पारित कर सकती है यानि वह दोषी पाई गई पार्टी को इस कार्यवाही का पूरा खर्च देने के लिए कह सकती है परन्तु यहॉ यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि पंचायत की शक्तियां उसी सीमा तक है जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उसे दी गई है।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम धारा 30(2) अनुसार न्याय पंचायत की किसी भी कार्यवाही या सुनवाई के लिए कोरम या गणपूर्ति

का होना अति–आवश्यक है। अगर कोरम न हो तो मामले की सुनवाई या फैसला देना गैर कानूनी होगा।

क्या पंचायत का निर्णय अंतिम होता हैं ?

क्या पचांयत के निर्णय के विरूद्व उपर की अदालत में अपील की जा सकती हैं ?

जितने भी दीवानी, फौजदारी या राजस्व कार्यवाही पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उन्हें पहले पचांयत के पास ही लाना पड़ता है। किसी भी हालत में ऐसे मामले को अदालत में नहीं ले जाया जा सकता है परन्तु यदि कोई भी पक्ष यानि शिकायतकर्ता अथवा जिस के विरूद्व शिकायत की गई हो यदि पंचायत के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है तो वह पंचायत के निर्णय के विरूद्व सम्बन्धित अदालत में अपील कर सकता है। यह अपील पंचायत द्वारा निर्णय देने के तीस दिनों के भीतर ही की जा सकती है। तीस दिनों के बाद पंचायत द्वारा दिया गया निर्णय अतिंम होगा।

समन जारी करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 65 के अनुसार यदि पंचायत को लगता है कि किसी वाद झगड़े या मामले की सच्चाई जानने के लिए किसी व्यक्ति की गवाही या किसी ऐसे दस्तावेज या पेपर की जांच करना आवश्यक है तो पंचायत उस व्यक्ति को समन जारी कर सकती है जिसमें उस व्यक्ति को पंचायत में उपस्थित होने या सम्बन्धित दस्तावेज को पेश करने के लिए कह सकती है। इसके साथ वादी या प्रार्थी को भी उपस्थित होने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समन भेज सकती है।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 69 के अनुसार समन की दो परते तैयार की जायेगी जिसमें स्थान, दिनांक व समय जहां उस व्यक्ति ने उपस्थित होना है लिखा जायेगा और यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि उसे किस हैसियत से अर्थात अभियुक्त प्रतिपक्ष, प्रतिवादी या गवाह के रूप में पेश होना है। उसमें यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि उसे साक्ष्य देने के लिए या कोई अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है।

नियम 70 में यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायत किसी व्यक्ति को केवल अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए भी समन भेज सकती है और ऐसा व्यक्ति यदि अभिलेख व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने के बजाये किसी प्रतिनिधि द्वारा भी पेश करता है, तो यह समझा जायेगा कि उसने आदेश का पालन कर लिया है।

नियम 71 के अनुसार पंचायत उन व्यक्तियों को गवाह के रूप में नहीं बुलाएगी जिन्हें देश की प्रथा के अनुसार या व्यवहार प्रक्रिया संहिता

के प्रावधानों या किसी अन्य लागू कानून के अधीन अदालत में उपस्थित होने की छूट हो।

नियम 72 अनुसार पंचायत प्रधान या उप प्रधान जिसने प्रार्थना पत्र प्राप्त किया, समन को जारी करेगा। समन जारी करने से पहले नियम 73 में निर्धारित फीस तथा गवाह की दशा में नियम 82 में निर्धारित दरों पर भोजन व्यय प्राप्त करना होगा।

नियम 97 के अनुसार जो भी समन या नोटिस भेजें जायें वह सुनवाई के लिए सुनवाई से पहले तामील होकर ग्राम पंचायत में वापिस आ जाने चाहिए।

समनों की तामील

नियम 74 के अनुसार समन की तामील साधारणतः पचांयत क्षेत्र के भीतर–2 पंचायत चौकीदार द्वारा की जायेगी परन्तु प्रधान या उप–प्रधान किसी अन्य व्यक्ति से भी उसकी तामील करवा सकता है।

❖ क्षेत्राधिकार में

जिस व्यक्ति को समन देना हो यदि वह ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहता हो तो उस दशा में नियम 75 के अनुसार दी गई प्रक्रिया अपनाई जायेगी। नियम 75 के अनुसार समन या नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जायेगा जिसके हस्ताक्षर या निशान अंगूठा दूसरी परत पर लिए जायेंगे। यदि वह व्यक्ति न मिल सके या ऐसा मालूम हो कि वह समन लेने से टालमटोल कर रहा है तो समन तामील करने वाले व्यक्ति को यह आदेश दिया जा सकता है कि समन उसके परिवार के किसी व्यस्क पुरूष सदस्य, जो उसके साथ रहता हो, पर तामील किया जाए । यदि वह भी समन न ले तो उसके निवास स्थान पर ध्यानाकर्षण स्थान पर किसी स्थानीय गवाह के सामने चसपान किया जाए।

❖ सरकारी या अर्धसरकारी कर्मचारी पर समन की तामील

ग्राम पंचायत नियम 76 के अनुसार यदि समन या नोटिस किसी सरकारी या अर्धसरकारी कर्मचारी पर तामील करना हो तो वह सम्बन्धित पक्ष के खर्चे पर रजिस्र्टड डाक द्वारा उस कार्यालय के मुखिया को दो परतों में भेजा जायेगा जिसके कार्यालय में वह कर्मचारी कार्य करता हो। वह कार्यालय

अध्यक्ष समन की तामील करने के बाद एक परत पंचायत को रिकार्ड हेतु वापिस भेजेगा।

❖ क्षेत्राधिकार के बाहर समन की तामील

ग्राम पंचायत नियम 77 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी वाद अभियोग या कार्यवाही में समन भेजना हो, वो ग्राम पंचायत के क्षेत्र से बाहर रहता हो, तो ग्राम पंचायत समन की दो परते उस ग्राम पंचायत को भेजेगी और यदि वहां ग्राम पंचायत न हो तो उस न्यायालय को भेजेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में रहता हो और वह ग्राम पंचायत या न्यायालय उसकी तामील उसी प्रकार करवायेगी मानो वह समन उसका अपना जारी किया गया हो और समन की तामील के बाद एक प्रति जिस पर समन प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर हों, सम्बन्धित ग्राम पंचायत को रिकार्ड हेतु वापिस भेजी जाएगी।

यदि समन ऐसे व्यक्ति को भेजना हो जो हिमाचल प्रदेश से बाहर रहता हो तो नियम 77(2) के अनुसार ग्राम पंचायत समन डाक द्वारा उस अदालत को भेजेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में वह व्यक्ति रहता हो।

क्या पंचायत अपनी छानबीन के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी लेने के लिए किसी महिला को, यदि उस का किसी केस से सीधा सम्बन्ध न हो, पंचायत घर में बुला सकती है ?

नहीं। पंचायत अपनी छानबीन के कार्य में आवश्यक जानकारी लेने के लिए समन द्वारा किसी भी महिला को नही बुला सकती है यदि उस का किसी केस से सीधा सम्बन्ध नहीं है। मात्र उससे जानकारी अथवा गवाही चाहिए तो उसे समन द्वारा नहीं बुलाया जा सकता है। उसके निवास स्थान पर उचित समय (सूर्योदय के बाद व सूर्योस्त से पूर्व) पर जाकर आवश्यक

जानकारी ली जा सकती है। **यदि किसी महिला के विरूद्व सीधी शिकायत है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को ग्राम पंचायत समन देकर बुला सकती है।**

यदि कोई पक्ष किसी स्त्री का गवाह के रूप में ब्यान दिलवाना चाहता है, तो इस आश्य का प्रार्थना पत्र पंचायत को देना होगा। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत एक कमीशन गठित करेगी और यदि ग्राम पंचायत आदेश दे तो प्रार्थी को यात्रा का व्यय निर्धारित दर पर जमा करवाना होगा या ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमीशन को ले जाने और वापिस लाने का प्रबन्ध करना होगा। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित कमीशन उस दिन व समय जिसकी सूचना पक्षों और गवाहों को दे दी जायेगी उस स्त्री का परीक्षण उसके निवास स्थान पर उसी प्रकार करेगा जैसा कि ग्राम पंचायत के सामने उपस्थित हो रहे हों। कमीशन लिए गए ब्यान पर हस्ताक्षर या निशान अंगूठा लगवायेगा तथा कम से कम एक पहचान करने वाले गवाह द्वारा लिये गये ब्यान को अभिप्रमाणित करवायेगा। इस प्रकार यह ब्यान उस वाद या अभियोग की कार्यवाही का अंग बन जायेगा। इसी धारा में, ऐसे दस्तावेज या कागज जिस की जरूरत पंचायत को किसी विवाद या झगड़े के सम्बन्ध में पड़ती है, के बारे में भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसा दस्तावेज या कागज उसी व्यक्ति की सम्पति होगी जिसके पास वह है। पंचायत को अपने न्यायिक कार्य के लिए उस की जरूरत हो तो उसके लिए पंचायत उस दस्तावेज को मंगवाने का अधिकार तो रखती है परन्तु उसे अपने कब्जें में लेने अथवा रखने का अधिकार पंचायत को नहीं है। उस कागज की नकल करवाकर और नकल का असली दस्तावेज से मिलान करने के बाद पंचायत नकल पर यह लिख देगी कि यह असली दस्तावेज की सही नकल है और असली दस्तावेज को उसके मालिक को वापिस कर देगी। पचांयत को चाहिए

कि वह जितनी जल्दी हो उस दस्तावेज की नकल करवा लें और असली दस्तावेज वापिस कर दें क्योंकि किसी भी कारण से असली दस्तावेज को कोई नुकसान पहुँचा सकता है।

ग्राम पंचायत के समक्ष हाजिर होने में असफल रहने के लिए कार्यवाही

समन मिलने के बावजूद यदि कोई जानबूझ कर पंचायत में हाजिर नहीं होता तो पंचायत क्या कर सकती है ?

पहले तो पंचायत को यह बात स्पष्ट रूप से जाननी होगी कि क्या वह व्यक्ति जानबूझ कर हाजिर नहीं हो रहा है या उसके हाजिर न होने के पीछे कोई कारण है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे समन मिले ही न हो। अगर पंचायत जांच पड़ताल के पश्चात् इस नतीजे पर पंहुचती है कि वह व्यक्ति जानबूझ कर गैर हाजिर हो रहा है यानि पंचायत को न्यायिक कार्यवाही करने में मदद् नहीं दे रहा है, जो पंचायत को किसी केस/छानबीन करने के लिए आवश्यक है तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 66 अनुसार उसकी शिकायत अपने क्षेत्र के मैजिस्ट्रैट को कर सकती है तथा उस व्यक्ति को ग्राम पंचायत के आदेश न मानने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है जो कि 25 रूपये से अधिक नहीं हो सकता है।

❖वाद या अभियोगों में किसी पक्ष की अनुपस्थिति

फौजदारी मामले में–यदि किसी अभियोग में **अभियोगी** तारीख पेशी की सूचना मिलने पर भी पेशी में हाजिर नहीं होता है तो अभियोग को खारिज किया जा सकता है अथवा कोई भी अन्य आदेश जैसा उचित हो दिया जा सकता है। **यदि अभियुक्त** समन मिलने पर भी गैर हाजिर रहता है तो उसकी गैरहाजिरी में भी पंचायत अपनी कार्यवाही कर सकती है। यदि अभियुक्त समन मिलने पर अथवा उस पर समन की तामील नहीं की जा रही हो तो ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत इसकी सूचना निकटतम मैजिस्ट्रैट को दे सकती है। मैजिस्ट्रैट अभियुक्त के जमानती वांरट निकाल कर पुलिस को आदेश दे सकती है कि अभियुक्त को गिरफतार करके सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पेश करे। अभियुक्त जमानत के साथ आश्वासन् दे कि वह निश्चित दिनांक को पंचायत के सामने पेश होगा तो उसे छोड़ दिया जायेगा । यदि वह जमानत नहीं देता है तो मैजिस्ट्रैट पुलिस को आदेश दे सकता है कि अभियुक्त को अपनी हिरासत में लेकर निश्चित दिनांक को पंचायत के सामने पेश करे और भविष्य में भी पंचायत द्वारा निश्चित दिनांक को पेश करते रहें।

दीवानी वाद में– यदि वादी किसी तारीख पर पैरवी के लिए उपस्थित नहीं होता है तो पचांयत वाद को दाखिल दफतर कर सकती है यदि प्रतिवादी तारीख पेशी की सूचना मिलने पर भी उपस्थित नहीं होता है तो ग्राम पंचायत उसके विरूद्ध धारा 55 के अधीन एक पक्षीय कार्यवाही कर सकती है परन्तु इस आदेश के 30 दिनों के भीतर–2 यदि सम्बन्धित पक्ष ग्राम पंचायत को प्रार्थना पत्र देकर अपनी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट कर देता है और ग्राम पंचायत उसे स्वीकार कर देती है, तो यदि वाद दाखिल दफतर

किया गया हो उसे सुनवाई के लिए बरामद किया जा सकता है। यदि प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया है तो उसे रदद् करके पुनः केस की सुनवाई की जा सकती है।

किसी पक्ष की मृत्यु

फौजदारी अभियोग में सुनवाई के दौरान यदि अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है तो अभियोग समाप्त हो जाएगा परन्तु दिवानी वाद या माल कार्यवाही की सुनवाई के दौरान कोई पक्ष मर जाता है तो उसका उत्तराधिकारी उसके स्थान पर पक्ष या फरीक बना दिया जायेगा।

ग्राम पंचायत द्वारा पारित किए गए फैसले को लागू करवाना

अक्सर शिकायत करने वाला और जिसके खिलाफ शिकायत की गई हो, दोनों ही ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहते है। इस तरह ग्राम पंचायत को अपने द्वारा दिये गये निर्णय को लागू करने में कठिनाई नहीं होती परन्तु कभी–2 स्थिति दूसरी भी हो जाती है जिसमें जिस के विरूद्व फैसला दिया जाता है, या वह जो दोषी पाया जाता है, वह फैसला करने वाली पंचायत में न रहकर दूसरे क्षेत्र का रहने वाला होता है।

ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत अपने द्वारा पारित किए गए फैसले को किस तरह लागू करवाये ?

_राम ग्राम पंचायत आनी का रहने वाला है। एक दिन वह किसी काम से मोहन के घर ग्राम पंचायत नालदेहरा में आया तथा उसने शराब पी कर मोहन के भाई से गालीगलोच किया। मोहन के भाई ने ग्राम पंचायत नालदेहरा में मामला दर्ज किया तथा ग्राम पंचायत ने राम को दोषी पाकर उस पर 50 रूपये का जुर्माना किया। राम जुर्माना देने से इन्कार करता है और अपने गांव (ग्राम पंचायत आनी) वापिस चला जाता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत नालदेहरा, ग्राम पंचायत आनी को उक्त जुर्माने की वसूली हेतू लिखेगी तथा ग्राम पचांयत आनी उस जुर्माने की वसूली इस प्रकार करेगी मानों उसने जुर्माना स्वयं लगाया हो। ग्राम पंचायत आनी जुर्माने की वसूली होने पर इसे सम्बन्धित ग्राम पंचायत नालदेहरा को अदा करेगी। अब मान लो राम सोलन का रहने वाला है वहां पर पंचायत क्षेत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत सम्बन्धित मैजिस्ट्रैट की मदद ले सकती है यानि कि मामला सोलन के मैजिस्ट्रैट को प्रेषित किया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 71 के अनुसार एक पंचायत को दूसरी पंचायत की मदद ऐसी स्थिति में लेनी पड़ती है जब उसके द्वारा दोषी पाये गये व्यक्ति का कारोबार या सम्पति आदि दूसरी पचांयत या फिर शहर में स्थित होता है और दोषी पाया गया व्यक्ति सीधे से जुर्माना देने को तैयार नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 72 के अनुसार ऐसी स्थिति में जब दोषी पाया गया व्यक्ति या उसकी सम्पति/कारोबार आदि फैसला करने वाली पंचायत की अधिकारिता में ही होता है, परन्तु जुर्माना देने से आनाकानी कर रहा है तो पंचायत अपने क्षेत्र के न्यायिक मैजिस्ट्रट को लिखेगी तथा न्यायिक मैजिस्ट्रट इस जुर्माने की वसूली उसी तरह करेगा जैसे वह खुद लगाये गये जुर्माने की वसूली करता है।

राम ने अपने पड़ोसी मोहन का मुर्गा चुरा कर पशु मण्डी में बेच दिया। इस मुर्गे की कीमत मोहन के अनुसार 200/–रू0 है। ग्राम पंचायत 250 रूपये तक की चोरी की शिकायत सुन सकती है। ग्राम पंचायत ने केस की छानबीन करने पर पाया कि राम ने सचमुच ही मुर्गा चुरा कर बेचा है। ग्राम पंचायत ने यह देखते हुए कि राम ने पहली बार ऐसा काम किया है और साथ ही राम द्वारा ऐसा विश्वास दिलाने पर कि उससे गलती हो गई है और वह आगे से ऐसा नहीं करेगा, ग्राम पंचायत ने यह फैसला दिया कि

- राम मुर्गा बेचकर कमाये गये रूपये मोहन को वापिस करेगा तथा राम को 50 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया।

राम ने मोहन को पैसे तो दे दिये परन्तु जुर्माने की राशी अगले महीने देने का वादा किया। अगला महीना आने पर राम जुर्माने के पैसे देने में आनाकानी करता है। **ग्राम पंचायत ने जुर्माना तो लगा दिया परन्तु जुर्माने को वसूलने लिए ग्राम पंचायत के पास कोई ताकत या पुलिस तो है नहीं, तो ग्राम पंचायत जुर्माने की बसूली कैसे करे।** यहां पर न्यायिक मैजिस्ट्रैट जिसके क्षेत्र में वह ग्राम पंचायत स्थित है, ग्राम पंचायत की मदद के लिए है। ग्राम पंचायत न्यायिक मैजिस्ट्रैट को निवेदन करेगी। न्यायिक मैजिस्ट्रैट ग्राम पंचायत द्वारा लगाये गये जुर्माने की वसूली उसी तरीके से करेगा जैसे वह अपने द्वारा लगाये गये जुर्माने की वसूली करता है। **इस तरह हम देखते है कि बेशक ग्राम पंचायत के पास सीधे तौर पर कोई ताकत नहीं है जिसके बल पर वह जुर्माने की वसूली कर सके परन्तु उसकी मदद के लिए न्यायिक मैजिस्ट्रैट है।**

❖ डिक्री निष्पादन

जिस व्यक्ति के हक में ग्राम पंचायत ने डिक्री दी हो वह व्यक्ति उसके निष्पादन के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है और ऐसे प्रार्थना पत्र देते समय उतनी ही फीस भी देनी होगी जितनी मूल वाद में पहले दी थी। इस फीस को वसूल किये जाने वाले खर्च में जोड़ दिया जाएगा।

प्रार्थना पत्र के साथ डिक्री की नकल भी साथ लगाई जानी चाहिए। ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत नियम 85 के अधीन दूसरे पक्ष को नोटिस देगी कि वह डिक्री की राशि को तीस दिन या अधिक से अधिक तीन मास में जैसा ग्राम पंचायत निश्चित करे अदा करें। यदि उक्त अवधि में डिक्री की राशि अदा नहीं की जाती है तो ग्राम पंचयात द्वारा अपने प्रमाण पत्रों सहित सब डिविजनल मैजिस्ट्रैट को डिक्री प्रेषित की जाएगी जो डिक्री का निष्पादन इस प्रकार करेगा मानो वह उस द्वारा ही पारित डिक्री हो। प्रमाण पत्र देते समय भी उतनी ही फीस ली जाएगी जितनी कि पहले ली गई थी और इसे भी बसूल किये जाने वाली राशी में जोड़ दिया जायेगा । यदि प्रतिवादी की सम्पति, आदेश या डिक्री पारित करने वाली ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित है, तो वह डिक्री या आदेश को विहित रीति में उस ग्राम पंचायत को भेजेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में वह सम्पति स्थित हो और वह ग्राम पंचायत उस डिक्री का निष्पादन उसी प्रकार करेगी मानो वह उस पचांयत ने स्वयं दी हो।

ध्यान रखने योग्य बातें

❖ पंचायत को दण्ड देने की शक्ति

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 33 के अनुसार ग्राम पंचायत किसी भी मामले में दण्ड के रूप में अधिक से अधिक 100 रूपये तक जुर्माना कर सकती है। ग्राम पंचायत किसी भी स्थिति में यानि जुर्माना वसूल न करने की स्थिति में अथवा जुर्मानें के साथ कारावास का दण्ड नहीं दे सकती।

❖ अभियुक्त को हर्जाना दिलाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 39 उस स्थिति को स्पष्ट करती है जहां पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर, उसे तंग करने के लिए झूठा मुकद्धमा लगा देता हो, ऐसी स्थिति में अगर पंचायत को यह स्पष्ट हो जाता है कि मुकद्धमा झूठा और जानबूझ कर तंग करने के लिए लगाया गया हो, तो पंचायत झूठा मुकद्धमा लगाने वाले को यह आदेश दे सकती है कि जिस के खिलाफ यह झूठा मामला लगाया गया है उसे हर्जाना दें। इस हर्जाने की राशि अधिकतम 200 रूपये तक हो सकती है।

❖वकील का हाजिर न होना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की **धारा 57 व 58** इस धारा के अन्तर्गत यह प्रतिबन्ध है कि कोई भी वकील किसी पक्ष की ओर से पैरवी या वकालत करने के लिए ग्राम पंचायत के सामने पेश नहीं हो सकता

है। वाद व अभियोग की पैरवी पक्ष को स्वंय करनी होगी। यदि किसी कारणवश स्वंय पैरवी नहीं कर सकते तो वह अपने किसी प्रतिनिधि को जिसे पंचायत स्वीकार करें से पैरवी करा सकते हैं परन्तु कोई वकील व कानूनी व्यवसायी किसी की पैरवी करने के लिए प्रतिनिधि नहीं हो सकता।

❖ अपील

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की **धारा 67** के अनुसार ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्व तीस दिनों के अन्दर किसी भी वाद या मामले में न्यायिक मजिस्ट्रैट/उप–न्यायधीश को और हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953(1965 का 6) के अधीन किसी कार्यवाही के बारे में संबंधित कलक्टर को, अपील की जा सकती है। अपील करने का अधिकारी शिकायतकर्ता अथवा जिसके खिलाफ शिकायत की गई है दोनों को है। सक्षम न्यायालय अपील को रद्द भी कर सकता है तथा साथ में 50 रूपये तक जुर्माना भी कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 68 के अनुसार यदि अपील नहीं की जाती है तो पंचायत का फैसला अन्तिम होगा। धारा 69 के अन्तर्गत यदि कोई अपील तुच्छ समझी जाए तो अपीलार्थी को यथास्थिति सम्बन्धित मजिस्ट्रैट, सब जज या कुलैक्टर द्वारा 50 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा।

❖ ग्राम पंचायत को संरक्षण

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 73 के अनुसार ग्राम पंचायतों को संरक्षण दिया गया है। अगर कोई भी ग्राम पंचायत के

सदस्यों की, उस समय अवहेलना/अपमान करता है, जब वह केस की सुनवाई कर रहे हो, तो दोषी को वही सजा मिलेगी जो अदालत का अपमान करने के लिए मिलती है। **(न्यायिक कार्यों के बारे में न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 के उपबन्ध लागू होंगें)**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की जिन धाराओं की सुनवाई का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है, में भी यह अधिकार शामिल है। आईपीसी की धारा 228 के अनुसार न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का अपमान करना या उसके कार्य में विघ्न डालना अपराध माना गया है।

शीला रामनगर ग्राम पंचायत की सदस्या है। ग्राम पंचायत की एक बैठक के दौरान मोहन ने गाली गलोच करना शुरू कर दिया। शीला को ग्राम पंचायत सदस्य होने के नाते संरक्षण प्राप्त है तथा ग्राम पंचायत उसे ग्राम पंचायत सदस्य का अपमान करने के लिए अलग से जुर्माना लगा सकती है साथ ही इसकी रिपोर्ट न्यायिक मैजिस्ट्रट को भी कर सकती है।

❖ ग्राम पंचायत के प्रति पुलिस के कर्तव्यः

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 74 में पुलिस और ग्राम पंचायत के आपसी तालमेल की बात की गई है। कोई ऐसा अपराध जिसकी जानकारी पुलिस को मिलती है, जो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है, की सूचना वह पुलिस अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायत को देगा न कि उसकी शिकायत अपने यहां दर्ज करेगा। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपराध धारा 32 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की जिन धाराओं की सुनवाई का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है, की सूचि के अन्तर्गत

आता हो तथा इसके साथ ही पुलिस पंचों को ऐसी शिकायत का कानूनी रूप से निपटारा करने हेतु मदद देगी। **इस धारा से यह स्पष्ट है कि पुलिस ऐसे किसी भी काम को, जो ग्राम पंचायत की अधिकारिता में आते है, की जानकारी मिलने के वाबजूद भी अपने अधिकार में नहीं ले सकती है परन्तु पंचायत की मदद कर सकती है।**

❖ **वाद/अभियोग के निपटारे के लिए समय सीमा**

नियम 84 के अन्तर्गत प्रत्येक वाद/अभियोग का निपटारा ग्राम पंचायत को तीन मास के भीतर कर देना चाहिये। यदि इस अवधि में वाद/अभियोग का निपटारा नहीं किया जा सकता है तो देरी के कारण को रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए।

अभिलेखों का निरीक्षण

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1997 के नियम 87 के अनुसार वाद/अभियोग/ कार्यवाही जो विचाराधीन हो या जिसका निर्णय हो चुका हो, परन्तु इसका रिकार्ड नियम 90 के अधीन जमा नहीं किया गया हो, का निरीक्षण कोई भी पक्ष बिना फीस दिये कर सकता है। पक्षों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसे रिकार्ड का निरीक्षण करना चाहे वह उस धर्मासन के सभापति की अनुमति ले कर, जो उस वाद, कार्यवाही या अभियोग को सुन रहा हो, चाहे वह विचाराधीन हो या निर्णय हो चुका हो, का निरीक्षण कर सकता है जिस के लिए नियम 92 में निर्धारित फीस अदा करनी होगी। ऐसे रिकार्ड का निरीक्षण, जो अभिलेख रिकार्ड कक्ष में जमा कर दिया गया हो उन्हीं नियमों के अनुसार किया जाएगा जो सामान्य अभिलेख कक्ष में जमा रिकार्ड के निरीक्षण के लिए लागू हो।

ग्राम पंचायत नियम 93 के अनुसार निरीक्षण ग्राम पंचायत के कार्यालय में ही किया जा सकेगा। नियम 94 के अनुसार निरीक्षण के समय स्याही और कलम का प्रयोग नहीं किया जायेगा और निरीक्षण ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी की उपस्थिति में ही किया जाएगा।

ग्राम पंचायतों की न्यायिक अभिलेखों की नकले लेने की प्रक्रिया

ग्राम पंचायत नियम 65 के अनुसार ग्राम पंचायत के न्यायिक अभिलेख की नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रधान या उप प्रधान को दिया जायेगा जिसके साथ 2 रूपये फीस भी देनी होगी। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 66 के अनुसार नकल फीस 3 रूपये प्रति 200 शब्दों या उसके भाग के लिए ली जाएगी। ग्राम पंचायत अभियुक्त को विशेष कारणों के आधार पर या उस को सजा होने की दशा में आदेश की प्रति निशुल्क भी दे सकती है। ग्राम पंचायत नियम 66 के अनुसार प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ पर्याप्त अग्रिम धन लिया जायेगा जिससे मांगी गई नकलों की अनुमानित लागत पूरी हो सके। नियम 67 के अनुसार प्रधान या उप प्रधान सचिव से सादे कागज पर नकले तैयार करवाएगा तथा इन्हें अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित करेगा और उन पर पंचायत की मोहर लगवा कर नकले प्रार्थी या उस के अधिकृत प्रतिनिधि को देगा और अग्रिम धन की शेष राशि यदि कोई रहे तो नकल फीस काटने के बाद वापिस करेगा।

न्याय शुल्क व फीसें

❖ समन फीस

ग्राम पंचायत द्वारा मु0 5 रूपये प्रति समन की दर से समन फीस ली जायेगी जिसे समन तामिल करने वाले को देय होगें। यदि समन रजिस्टरी द्वारा भेजा जाता है तो रजिस्टरी व्यय उस व्यक्ति को देना होगा जिसके मामले में समन भेजा जाना है।

❖ भोजन व्यय

ग्राम पंचायत नियम 82 के अनुसार भोजन व्यय में दैनिक भत्ता तथा यात्रा व्यय शामिल है। इसका उद्देश्य उस व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत के सामने पेश होने के लिए खर्चे को पूरा करना है। नियम 82 के अनुसार इसकी दरें निम्न प्रकार से निर्धारित की है:–

- दैनिक भत्ता: 15 रूपये से 25 रूपये तक प्रतिदिन
- सड़क से यात्रा करने पर वास्तविक किराया।
- यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी या स्थानीय संस्था के कर्मचारी को गवाह के रूप में बुलाना हो तो उन्हें दैनिक भत्ता उन्हीं नियमों के अनुसार दिया जायेगा जो उन्हें लागू हो।

भोजन व्यय समन फीस के साथ लिया जायेगा तथा इसकी रसीद जारी करके इसे भोजन व्यय रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

❖ दीवानी वाद में फीसें

- 500 रूपये के मूल्य तक के वाद — 10 रूपये
- 500 रूपये से अधिक — प्रत्येक 10 या उसके भाग के लिए 2 रूपये

❖ अभियोग में फीसें

- प्रत्येक वाद/अभियोग की कार्यवाही में — 5 रूपये
- विविध प्रार्थना पत्र पर — 2 रूपये

❖ निरीक्षण फीस

- ग्राम पंचायत द्वारा नियम 130 के अनुसार निरीक्षण फीस पहले घंटे के लिए 2 रूपये तथा उसके बाद प्रत्येक घंटे के लिए 1 रूपये प्रत्येक अभिलेख के निरीक्षण के लिए ली जाएगी।

क्या ग्राम पंचायत फीस माफ कर सकती है ?

ग्राम पंचायत किसी अभियोग में फीस माफ कर सकती है परन्तु इसके उचित कारण अभियोग के रजिस्टर में लिखने होंगे।

मिसलबन्दी या कागजात फाईल करने की प्रक्रिया

ग्राम पंचायत में दर्ज प्रत्येक मामले के लिए अलग–अलग मिसल या फाईल बनाकर अभिलेख रखा जायेगा जिसे सचिव द्वारा निम्न रीति से संधारित किया जाएगा।

❖ **फाईल आवरण (File over)**

इसमें निम्नलिखित विवरण होगें

- वाद/मामला/कार्यावाही की संख्या व वर्ष.....
- पक्षकारों के नाम.....बनाम.....
- अपराध की प्रकृति या वाद/कार्यवाही का स्वरूप
- वाद/मामला/कार्यवाही दायर करने की तारीख
- न्यायपीठ के पंचों के नाम
- तारीख फैसला

❖ **सूचि पत्र**

इसमें निम्नलिखित विवरण होगें

- इसमें मामले का विवरण जैसे कि वाद अभियोग या कार्यवाहियों की संख्या।
- पक्षकारों के नाम

- अपराध की प्रकृति/स्वरूप सूचि पत्र के शीर्ष पर तथा नीचे निम्नलिखित कालम तैयार किए जाएगें।

क्रमांक **कागजात का विवरण** **पृष्ठ संख्या**

❖ **संक्षिप्त आदेश या खुलासा अहकाम**

(Brief order or khulasa Ahkam)

जब मामले/वाद या कार्यवाही की सुनवाई हो रही हो तो सूचि पत्र के पश्चात् संक्षिप्त आदेश पन्ना या खुलासा अहकाम प्रयोग में लाया जाएगा जिसमें निम्नलिखित कालम बनाए जायेगें।

तारीख **संचालित कार्यवाही** **आगामी तारीख**

❖ **फैसले का प्रारूप**

किसी भी मुकदमों का फैसला लिखते समय पंचायत को निम्नलिखित तथ्य वर्णित करने होंगेः–

- ग्राम पंचायत का नाम।
- मुकदमें की संख्या व किस्म।
- वादी का नाम व उसका पूरा पता।
- प्रतिवादी का नाम व उसका पूरा पता।
- याचिका में दर्शाये गये तथ्यों का सार।
- याचिका में दर्शाये गये प्रतिवादी के जबाब का सार।
- याचिका व जबाब से उपजे मुद्दों की संरचना तथा फैसला हां या न में।
- वादी द्वारा दिए गए साक्षियों की संख्या व साक्षियों द्वारा वर्णित स्थिति का सार।

- फैसले पर पहुॅचने के तर्कों का विवरण।

धर्मासन को यह दर्शाना होगा कि किस साक्षी के किस विवरण से पंचायत सहमत है तथा किन कारणों से असहमत है। अन्त में फैसला यदि वादी के हक में हो तो उसे स्वीकृति सहित स्पष्ट शब्दों में वर्णित करना होगा। यदि स्वीकार न हो तो अस्वीकृति स्पष्ट शब्दों में लिखनी होगी जिसके पश्चात् धर्मासन निर्णय सुनाने की तिथि लिखेगी व हस्ताक्षर करेगी तथा फैसले का सार पंचायत निर्धारित तिथि पर दोनों पक्षों के सम्मुख पढ़कर सुनाएगी।

जानकारी हेतु फैसले का नमूना

- ग्राम पंचायत का नाम
- विकास खण्ड
- जिला
- मुकद्धमें की किस्म व नम्बर
- मुकद्धमा रजिस्टर होने की तारीख
- मुकद्धमें का फैसला सुनाने की तारीख

वादी का नाम व पता.....

.....वादी

विरूद्व

प्रतिवादी का नाम व पता.....

.....

.....प्रतिवादी

फैसलाः—

वादी(एक व दो) ने यह याचिका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 तहत के प्रत्येक को भरण पोषण दिलवाने हेतु प्रतिवादी के विरूद्व दाखिल कर रखी है।

वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कहा है कि रीति रिवाज के मुताबिक (दिनांक व वर्ष) को प्रतिवादी के साथ उसकी शादी हुई थी जिस शादी के उपरान्त

वादी 2 का जन्म हुआ जो अब वादी के संरक्षण में रहता है। वादी ने यह भी कहा है कि प्रतिवादी का वयवहार वादी के प्रति शुरू से ही ठीक नहीं था तथा वह न तो उसकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करता था और न ही उसे ठीक तरह से रखता था। वादी नम्बर दो के जन्म के बाद तो प्रतिवादी ने वादी को ठीक तरीके से रखना ही छोड़ दिया जिसकी वजह से दोनों वादियों को निर्वाह करना मुश्किल हो गया। अतः वादी ने निवेदन किया है कि प्रतिवादी से उन्हें 500 रूपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता दिलवाया जाये जिसके लिए वह सक्षम है तथा जानबूझ कर वादी व उसके बच्चे का भरण पोषण नहीं कर रहा है।

प्रार्थना पत्र के जवाब में प्रतिवादी ने यह माना है कि वादी उसकी व्याहता पत्नी है तथा वादी नम्बर दो उसका बच्चा है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह कहा है कि वादी का व्यवहार प्रतिवादी के प्रति शुरू से ही ठीक न था हांलाकि वह उसे रोजमर्रा की जरूरतें मुहैया करवाता था। प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि वह स्वंय ही उसके सानिध्य से बिना किसी कारण के अलग हो गई है तथा अपने माता पिता के घर में अपनी मर्जी से रह ही है। उसने यह भी कहा है कि वह कुछ नहीं कमाता है और बेकार है और न ही उसने नाम पर कोई जमीन है। इसलिए वह 500 रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण भत्ता वादियों को नहीं दे सकता। वादी व प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र व जवाब पर आधारित व धर्मासन के फैसले के लिए बिन्दु यह बनाता है कि क्या वादी भरण पोषण भत्ता प्रतिवादी से पाने के पात्र है, यदि हां तो कितना ?

उत्तरः हां 500 रूपये प्रतिमाह प्रत्येक वादी को

उपरोक्त बिन्दू के फैसले के लिए वादी स्वयं व उसके दो गवाह (अ व ब) उसकी तरफ से धर्मासन के समक्ष उपस्थित हुए। जबकि प्रतिवादी स्वंय व उसकी ओर से दो गवाह (ख व ग) धर्मासन के सम्मुख प्रस्तुत हुए (दोनो पक्षों के गवाहों के नाम)

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि पत्नी, बच्चों व माता–पिता को भरण पोषण भत्ता हेतु याचिका दायर करने का अधिकार है, यदि पति जानबूझ कर उनका ठीक से रख–रखाव न कर रहा हो परन्तु यदि ब्याहता पत्नी व्याभिचारिणी का जीवन बिता रही हो तो उसे भरण–पोषण भत्ता नहीं मिलेगा या वह बिना किसी उचित कारण के पति के साथ न रह रही हो।

इस मुकद्धमें में यह दोनों पक्षों द्वारा माना हुआ तथ्य है कि वादी प्रतिवादी की ब्याहता है तथा वादी नम्बर दो प्रतिवादी की सन्तान है। यह भी माना हुआ तथ्य है कि ब्याह के उपरान्त वादी प्रतिवादी के साथ ही रह रही थी अब यह जवाब देने योग्य तथ्य है कि क्या वादी बिना किसी कारण से प्रतिवादी का संसर्ग छोड़ कर आई है। इस प्रसंग में वादी ने यह कहा है कि शुरू से ही प्रतिवादी का उसके प्रति व्यवहार उचित न था तथा वादी नम्बर दो के जन्म के उपरान्त तो उसने उनकी देख–रेख करना ही छोड़ दी है। वह उसे मारता व पीटता था जिसके कारण उसे प्रतिवादी को छोड़कर अपने बच्चे सहित अपने माता–पिता के घर में शरण ली तथा प्रतिवादी उन्हें भरण पोषण भत्ता नहीं दे रहा है। उसने यह भी माना है कि प्रतिवादी उसे एक बार लेने आया था परन्तु उसे अपने व अपने बच्चे की जीवन संरक्षण का डर था इसलिए वह उसके साथ नहीं गई। जिरह में उसने माना है कि रिवाज के अनुसार पति के साथ पत्नी को उसके घर में ही रहना है परन्तु प्रतिवादी की घृणा व मारपीट के कारण उसके जीवन को खतरा है इसलिए वह व उसका बच्चा प्रतिवादी के साथ नहीं रह सकता। इस प्रसंग में वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाह (अ व ब) ने भी यह कहा है कि प्रतिवादी वादी के साथ शुरू से ही मारपीट करता रहा है व उनका ठीक तरह से निर्वाह नहीं करता। दोनों गवाहों की जिरह से भी वादी का पक्ष मजबूत हो रहा है।

प्रतिवादी ने अपने बचाव में यह ब्यान दिया है कि वह जब–जब भी वादी को अपने घर लेने गया तो उसने असके साथ आने से इन्कार किया जिस ब्यान को प्रतिवादी के गवाह (ख व ग) ने भी हू ब हू इसी तरह से प्रस्तुत किया परन्तु प्रतिवादी

वादी द्वारा मारपीट के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों को नकारने के लिए कोई ठोस सबूत व गवाह पेश नहीं कर सका ।

उपरोक्त गवाहों के ब्यान व प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि वादी व उसके बच्चे का प्रतिवादी ठीक तरीके से भरण–पोषण नहीं कर रहा व वादी के साथ मारपीट भी करता है जिसके कारण वादी की जान को भी खतरा हो सकता है। धारा 125 के तहत यह प्रतिवादी का कर्तव्य है कि वह वादी व उसके बच्चे का भरण पोषण करे अन्यथा उसे उसकी एवज् में भरण–पोषण देना होगा। यह भी जाहिर है कि न तो वादी न ही उसका नाबालिग बच्चा अपना भरण–पोषण करने के काबिल है। इसलिए यह पाया जाता है कि प्रतिवादी ने जानबूझ कर वादी व उसेक बच्चे का रख–रखाव नहीं किया जिसके लिए वह कानूनन जिम्मेवार है। यह भी पाया गया है कि यदि प्रतिवादी कही भी काम करे तो वह 2500 से 3000 रूपये प्रतिमाह जोकि एक आम दिहाड़ीदार कमा सकता है, कि आमदन कर सकता है। देखने में प्रतिवादी सक्षम प्रतीत होता है तथा इसलिए उसके पास कमाई का पर्याप्त साधन है। अतः उसे दोनों वादियों को ठीक तरीके से रख–रखाव करना चाहिए।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर यह पाया जाता है कि दोनों वादी प्रतिवादी से भरण–पोषण भत्ता पाने के हकदार है। अतः प्रतिवादी को यह आदेश दिया जाता है कि वह प्रतिमाह 500 रूपये भरण–पोषण भत्ता प्रति वादी के हिसाब से दोनों वादियों को इस प्रार्थना पत्र के दाखिले से देगा। उपरोक्त फैसले की नकल वादी को बिना किसी कीमत के दे दी जाये। जो फैसला आज दोनों पक्षों के सम्मुख पचांयत में सुनाया गया।

धर्मासन के हस्ताक्षर दिनांकः

****

अनुसूचि–3

(धारा 32 देखें)

ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध

संख्या	अधिनियम या संहिता का नाम	अपराध	धारा
1.	2	3.	4.
1.	भारतीय दण्ड संहिता	दंगा करना।	160
2.	भारतीय दण्ड संहिता	समनों की तामील या अन्य कार्यवाहियों से बचने के लिए फरार हो जाना।	172
3.	भारतीय दण्ड संहिता	विधियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए समनों की तामील और प्रचार करने में रूकावट पैदा करना।	173
4.	भारतीय दण्ड संहिता	शपथ या प्रतिज्ञान से इन्कार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए।	178
5.	भारतीय दण्ड संहिता	प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इन्कार करना।	179
6.	भारतीय दण्ड संहिता	कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करना।	180
7.	भारतीय दण्ड संहिता	न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान करना या उसके कार्य में विघ्न डालना।	228
8.	भारतीय दण्ड संहिता	अध्याय 13 में उल्लिखित वाटों और मापों से सम्बन्धित अपराध।	264 से 267

9.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी कार्य को उपेक्षापूर्वक करना जिससे मानव जीवन को खतरा हो।	269
10.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी सार्वजनिक स्त्रोत अथवा जलाशय का जल कलुषित करना।	277
11.	भारतीय दण्ड संहिता	लोक मार्ग अथवा नौ–परिवहन पथ में संकट या बाधा डालना।	283
12.	भारतीय दण्ड संहिता	अग्नि अथवा किसी दहनशील पदार्थ से संसव्यवहार करना जिससे मानव जीवन को खतरा हो।	285
13.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी विस्फोटक पदार्थ आदि से संव्यवहार करना जिससे मानव जीवन को खतरा हो।	286
14.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी ऐसे भवन जिसे कोई व्यक्ति गिराने और जिसकी मुरम्मत कराने का अधिकार रखता है, से मानव जीवन को संभावित खतरे से बचाव करने में चूक करना।	288
15.	भारतीय दण्ड संहिता	जीव–जन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	289
16.	भारतीय दण्ड संहिता	लोक न्यूसैन्स करना।	290
17.	भारतीय दण्ड संहिता	अश्लील कार्य और गाने।	294
18.	भारतीय दण्ड संहिता	स्वेच्छा से उपहति करना।	323
19.	भारतीय दण्ड संहिता	प्रकोपन पर स्वेच्छा से उपहति करना।	334
20.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी व्यक्ति को संदोष अवरूद्ध करना।	341
21.	भारतीय दण्ड संहिता	गंभीर प्रकोपन से भिन्न हमला या अपराधिक बल का प्रयोग।	352
22.	भारतीय दण्ड संहिता	चोरी, जहां चोरी हुई सम्पति का मूल्य 250 रूपये से अधिक न हो, परन्तु कोई भी ग्राम पंचायत किसी ऐसे परिवाद का संज्ञान	379

		नहीं करेगी यदि अभियुक्तः– (i) भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय XII या XVII के अधीन पहले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जो दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से दण्डनीय है जो तीन वर्ष या उससे अधिक का हो ; या (ii) उसे पहले किसी पंचायत द्वारा, चोरी के लिए या चोरी की गई सम्पति को प्राप्त करने या रखे रहने के लिए, जुर्मानें से दण्डित किया हो ; या (iii) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभ्यासिक अपराधी हों ; और (iv) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 109 या 110 के अधीन संस्थित कार्यवाहियों में अच्छे आचरण के लिए आबद्ध किया गया हो ; (v) उसके विरूद्ध हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी निर्बन्धन अधिनियम, 1973 (1973 का 9) के अधीन आदेश या निर्बन्धन प्रवृत हों ; और (vi) जुए के लिए पहले सिद्धदोष ठहराया जा चुका हो।	
23.	भारतीय दण्ड संहिता	बेईमानी से दुर्विनियोग यदि इसके अधीन सम्पति 250 रूपये से अधिक न हो।	403
24.	भारतीय दण्ड संहिता	अपराधिक न्याय भंग यदि इसके अधीन सम्पति 250 रूपये से अधिक न हो।	406
25.	भारतीय दण्ड संहिता	चोरी की हुई सम्पत्ति बेईमानी से प्राप्त करना या रखे रहना यदि इसके अधीन सम्पति 250 रूपये से अधिक न हो।	411

26.	भारतीय दण्ड संहिता	छल करना यदि इसके अधीन सम्पति 250 रूपये से अधिक न हो।	417
27.	भारतीय दण्ड संहिता	रिष्टि जबकि हुआ नुकसान या हानि 50 रूपये के मूल्य से अधिक न हो।	426
28.	भारतीय दण्ड संहिता	रिष्टि और एतद् द्वारा सम्पति को हुआ नुक्सान या हानि 50 रूपये या 50 रूपये से अधिक मूल्य का हो।	427
29.	भारतीय दण्ड संहिता	10 रूपये के मूल्य के पशु को विकलांग करना।	428
30.	भारतीय दण्ड संहिता	ऐसे किसी भी मूल्य के ढोर आदि या 50 रूपये के मूल्य के किसी पशु का बध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि ।	429
31.	भारतीय दण्ड संहिता	अपराधिक अतिचार।	447
32.	भारतीय दण्ड संहिता	शान्ति भंग करने के आशय से किसी का अपमान करना या उतेजित करना।	504
33.	भारतीय दण्ड संहिता	अपराधात्मक अभिवास आदि के लिए दण्ड।	506
34.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी स्त्री की लज्जा को अपमानित करने हेतु कोई शब्द बोलना अथवा कोई अंग विक्षेप।	509
35.	भारतीय दण्ड संहिता	मत व्यक्ति का लोक स्थान में अवचार।	510
36.	टीका अधिनियम, 1880 (1880 का 13)	धारा 22 के खण्ड (क) (ख) और (घ) के अन्तर्गत आने वाले अपराधों का दण्ड	धारा 22 के खण्ड (ग) के सिवाय।
37.	पशु अतिचार अधिनियम, 1871	पशुओं के अभिग्रहण का बलपूर्वक विरोध	24

		करना अथवा उन्हें छुड़ाना।	
38.	पशु अतिचार अधिनियम, 1871	सुअरों द्वारा भूमि या फसलों और सार्वजनिक सड़कों को नुक्सान पहुंचाया जाना।	26
39.	हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निषेध) अधिनियम, 1952	बालकों को तम्बाकू बेचने के लिए शास्ति।	3
40.	हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निषेध) अधिनियम, 1952	सार्वजनिक स्थान में किशोर से तम्बाकू का अभिग्रहण करना।	4
41.	सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	जुआ घर का स्वामी होने या उसे चलाने या भार साधक होने के लिए शास्ति।	3
42.	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	जुआघर में पाए जाने के लिए शास्ति।	4
43.	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	गिरफतार व्यक्तियों पर गलत नाम और देने के लिए शास्ति।	7
44.	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	इस अधिनिमय की धारा 22, 158 और 187 के अधीन अपराध।	

अनुसूचि–4

(धारा 46 देखें)

कुछ दावों के लिए परिसीमा।

संख्या	वाद विवरण	परिसीमा अवधि	समय जिसमें अवधि आरम्भ होगी
1.	2.	3.	4.
1.	किसी संविदा पर देय धन के लिए।	तीन वर्ष	जब वादी को धन देय हो जाए।
2.	जंगम सम्पति या उसके मूल्य की वसूली के लिए।	तीन वर्ष	जब वादी जंगम सम्पति लेने का हकदार हो जाए।
3.	किसी जंगम सम्पति को संदोषतः लेने या क्षति पहुंचाने के प्रतिकर के लिए।	तीन वर्ष	जब जंगम सम्पति संदोषतः ली गई थी या जब इसको क्षति पहुंचाई गई थी।
4.	पशु अतिचार द्वारा हुए नुक्सान के लिए।	एक वर्ष	जब पशु अतिचार द्वारा नुक्सान हुआ हो।

****

नोट

ग्राम पंचायतों को न्यायिक शक्तियों तथा उतरदायित्व के निष्पादन के संदर्भ में यह मार्गदर्शिका ग्राम पंचायत पदाधिकारियों की सुविधा के लिए साधारण हिन्दी भाषाा में तैयार की गई है। इसका उल्लेख किसी न्यायालय में मान्य नहीं होगा।